हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

9 जून, 2005

खण्ड–2, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 9 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 1
शपथ/प्रतिज्ञान	(1) 10
स्थगन प्रस्ताव की सूचना/वाक आउट	(1) 11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 13
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1) 30
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 33

मूल्य : 1

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 9, जून, 2005

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की ।

सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I call upon Shri Bhupinder Singh, Hooda, a member who has returned in the Bye-election from 29, Kiloi Assembly Constituency and Smt. Kiran Chaudhary, a member, who has returned in the Bye-election from 67, Tosham Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on 2nd June, 2005 to subscribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.

I will also request them for siging the Roll of Members placed on the Secretary's table after making subscribe oath/affirmation of allegiance.

(At this stage Shri Bhupinder Singh Hooda and Smt. Kiran Chaudhary, subscribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.)

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में से हमारे बहुत सारे प्रमुख सदस्य, स्वतन्त्रता सेनानी एक-एक करके हमें छोड़ कर जा रहे हैं। इसके साथ ही इस विधान सभा के दो सदस्य भी, जो मंत्री मंडल के सदस्य थे, हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके चले जाने से जो नुकसान हुआ है वह बर्दाश्त करना संभव नहीं है। उनको उनके परिवार वालों ने, हरियाणा की जनता ने और हमने भी खोया है। इसी प्रकार से श्री सुनील दत्त भी जो हरियाणा के ही थे, वे भी हमें छोड़ कर चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सुनील दत्त, एक प्रसिद्ध अभिनेता एवं केन्द्रीय मन्त्री

यह सदन एक प्रसिद्ध अभिनेता एवं केन्द्रीय मन्त्री श्री सुनील दत्त के 25 मई, 2005 को हुए दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 जून, 1929 को हुआ। उन्हें जिला यमुनानगर के गांव मंडोली से विशेष लगाव था, क्योंकि उनका परिवार देश के विभाजन उपरान्त इस गांव में आ बसा था। वे सच्चे देशभक्त एवं धर्मनिर्पेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरु के आशीर्वाद से श्री सुनील दत्त व उनकी पत्नी श्रीमती नरगिस ने अजन्ता आर्ट्स वैलफेयर ट्रूप का गठन किया तथा 1962 के

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भारत-चीन युद्ध और 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान भारतीय सेना के जवानों का मनोरंजन करने के लिए देश की सीमाओं पर गए।

वे 1984, 1989, 1991, 1999 तथा 2004 में लोक सभा के लिए चुने गए। वे 2004 में केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलों के मन्त्री बने और निधन के समय तक इस पद पर रहे। मन्त्री के रूप में वे खेलों के स्तर पर सुधार तथा खिलाड़ियों के कल्याण को समर्पित थे। वे युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

उन्हें जितना पर्दे पर अभिनय करने के लिए याद किया जाएगा उतना ही शान्ति और साम्प्रदायिक सदभाव के लिए मुहिम चलाने तथा कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने अपना फिल्मी जीवन 1955 में फिल्म "रेलवे प्लेटफार्म" से शुरू किया तथा 1957 में कालजयी फिल्म "मदर इण्डिया" से वे अपने अभिनय के चरम पर पहुंचे। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को अभिभूत किया। उन्होंने अनेक सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी पत्नी नरगिस के 1981 में कैंसर के कारण हुए निधन के बाद उन्होंने अपना जीवन कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए धन जुटाने एवं सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1987 में मुम्बई से अमृतसर तक पदयात्रा की तथा स्वर्ण मन्दिर में शान्ति के लिए अरदास की। इसके एक वर्ष बाद वे परमाणु हथियारों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करने के लिए नागासाकी तथा हीरोशिमा गए।

उन्होंने अपने जीवन में जो भी भूमिका निभाई वह बेजोड़ थी। उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिनमें फिल्म फेयर बैस्ट एक्टर अवार्ड, 1968 में पद्मश्री, 1988 में अंतर्राष्ट्रीय शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भाव, एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान अवार्ड, 1997 में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड तथा 2004 में हरियाणा गौरव अवार्ड शामिल हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी वे मेरे मित्र थे और लोक सभा में भी वे मेरे साथी रहे। उनका स्वभाव सबको साथ लेकर चलने का था।

उनके निधन से भारत विशेषकर हरियाणा अपने एक महान सपूत, एक प्रसिद्ध समाजसेवी, अनुभवी सांसद, सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह, हरियाणा के मन्त्री

यह सदन हरियाणा के मन्त्री श्री सुरेन्द्र सिंह के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक हृदय विदारक हैलीकाप्टर दुर्घटना में 31 मार्च, 2005 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 जुलाई, 1946 को हुआ। हरियाणा की राजनीति के चमकते सितारे श्री सुरेन्द्र सिंह ने राजनीति का पाठ अपने पिता श्री बंसी लाल, पूर्व मुख्य मन्त्री हरियाणा की छत्रछाया में सीखा। वे प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने कठोर परिश्रम, संघर्ष व लगन के बलबूते पर राज्य एवं राष्ट्र की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया। वे 1977 से

1986 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे और 1982-83 के दौरान मन्त्री रहे। वे 1986 से 1992 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वे दो बार 1996 तथा 1998 में लोक सभा के लिये चुने गये। वे अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2005 में पुनः हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मन्त्री बने।

वे किसानों की समस्याओं को भली-भान्ति समझते थे तथा कृषि और किसान से उन्हें विशेष लगाव था। उनके निधन से कुछ ही देर पहले उनकी कलम से निकला अन्तिम आदेश भी किसानों के हित मे था।

दृढ़ निश्चयी एवं साहसी श्री सुरेन्द्र सिंह हरियाणा के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे तथा इसके लिए उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था। वे ईमानदारी, सादगी एवं अनुशासन की प्रतिमूर्ति थे। वे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत थे, जिन्हें उनसे बहुत आशाएं थीं लोकसभा में साथ-साथ सदस्य रहे और जब भी लोकसभा में कोई सीरियस मामला होता था तो स्पीकर साहब उनको कहते थे ताकि वे हाउस में कोई ऐसी बात कहते थे जिससे कि हाउस लाइट हो जाता था तो जो लोकसभा में खिचाव होता था उसको दूर करने में सहायक रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश जिंदल, हरियाणा के मन्त्री

यह सदन हरियाणा के मन्त्री श्री ओम प्रकाश जिंदल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक हृदय विदारक हैलीकाप्टर दुर्घटना में 31 मार्च, 2005 को हुए दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

मैन ऑफ स्टील के नाम से प्रसिद्ध श्री ओम प्रकाश जिंदल का जन्म 7 अगस्त, 1930 को हुआ। उन्होंने एक छोटे उद्यमी से औद्योगिक जीवन की शुरुआत की और वे कठोर परिश्रम के बलबूते पर एक सफल उद्योगपति बने। आज जिंदल औद्योगिक समूह का न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में नाम है। उनकी यह सोच थी कि भारत, उद्योग के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। वे उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विश्व का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग करने के पक्षधर थे।

वे एक सफल उद्योगपति होने के साथ-साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वे 1991 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये । वे 1996 में लोक सभा के लिये भी चुने गये। वे 2005 में पुनः हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मन्त्री बने।

वे व्यवसाय व राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पूर्ण रूचि लेते थे। वे आर्थिक एवं सामाजिक समानता के पक्षधर थे और इस दिशा में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन उद्योगपति, समाजसेवी एवं एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में न केवल हरियाणा के लोगों अपितु पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोकसभा में भी साथ रहे और विधान सभा में भी साथ रहे, हर मामले पर जो भी जनकल्याण की बात होती थी उसमें वे पूरा सहयोग करते थे।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद, एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री बी० के शारदा, भिवानी।
2. श्री ध्योदत्त, गांव कासनी कलां, जिला भिवानी।
3. श्री जगमाल सिंह, गांव पुनसिका, जिला रेवाड़ी।
4. श्री शीशराम, गांव कितलाना, जिला भिवानी।
5. श्री सूरत सिंह, गांव सच्चाखेड़ा, जिला जीन्द।
6. श्री घनश्याम दास, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।
7. श्री पाखर सिंह विर्क, गांव सलेमपुरी, जिला फतेहाबाद।
8. श्री सुन्दर सिंह, गांव रायपुर, जिला सोनीपत।
9. श्री रामस्वरूप, तिलक नगर, रोहतक।
10. श्री सूबे सिंह, गांव झाड़ली, जिला झज्जर।
11. श्री करतार सिंह, गांव झोरड़नाली (ढाणी खोबा), जिला सिरसा।
12. रतन सिंह, गांव सैम्पल, जिला रोहतक।
13. श्री बुट्टी राम, गांव खेड़ी होशियारपुर, जिला झज्जर।
14. श्री प्रभुदयाल, गांव निमोठ, जिला रेवाड़ी।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. सुबेदार कर्मचन्द, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव।
2. उप निरीक्षक ईश्वर सिंह, गांव बरहाणा, जिला झज्जर।
3. हवलदार मालाराम, गांव सिसोठ (ढाणी टेकचन्द), जिला महेन्द्रगढ़।
4. हवलदार रिसाल सिंह, सिवानी, जिला भिवानी।
5. हवलदार श्रीपाल, गांव भाटला, जिला हिसार।
6. हवलदार धर्मपाल, नारनौंद, जिला हिसार।
7. हवलदार रणबीर सिंह, गांव कितलाना, जिला भिवानी।
8. हवलदार सूरजभान, गांव चरखी, जिला भिवानी।
9. सिपाही प्रताप सिंह, गांव बापोड़ा, जिला भिवानी।
10. सिपाही श्यामलाल, गांव चन्दू (ढाणी ओमनगर), जिला गुड़गांव।
11. सिपाही सुरेन्द्र सिंह, गांव इमलोटा, जिला भिवानी।
12. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव कुरलन, जिला करनाल।
13. सिपाही जयवीर, गांव किठाना, जिला कैथल।
14. सिपाही उमेद सिंह, गांव लाड, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

सांसद श्री अवतार सिंह भडाना के भाई तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन के ससुर, **श्री संत सिंह** तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेश मलिक की भाभी **श्रीमती अनिता देवी** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है उसमें अपने आपको जोड़ने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, श्री सुनील दत्त का व्यक्तित्व कोई शब्दों का मोहताज नहीं था, हम सबको इस बात का हमेशा यह फख्र रहेगा कि उन्होंने हरियाणा की मिट्टी में जन्म लिया। श्री सुनील दत्त ने कई प्रकार के रोल अदा किए। एक राजनेता के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर, एक समाजसेवी के तौर पर और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
सबसे महत्वपूर्ण शान्ति के दूत के तौर पर। शायद इसीलिए पूरा हिन्दुस्तान उन्हें एक शान्ति के दूत के नाम से जानता था। जब-जब सुनील दत्त का नाम लिया जाता था, शान्ति का दूत लब्ज अपने आप यकायक सभी दलों, सभी व्यक्तियों और सभी धर्मों के लोगों के मुखार्विन्द पर आ जाता था। चाहे बाम्बे में दंगों की बात हो, चाहे पंजाब में हिंसा की बात हो, चाहे परमाणु अस्त्रों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी और विश्वव्यापी युद्ध चलाने की बात हो, चाहे आपसी सामन्जस्य और सद्भाव बढ़ाने की बात हो और चाहे गुजरात दंगों के बाद जगह-जगह जाकर जख्मतमन्दों के आंसु पोंछने की बात हो। शान्ति और सद्भाव का सन्देश पूरे देश के अन्दर और पूरे विश्व में ले जाने की बात हो, सुनील दत्त जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सच है कि उनके जाने से पूरे राष्ट्र को ऐसी कमी रहेगी जो न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बल्कि पूरा भारत देश कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पायेगा। हम सभी साथी ही नहीं बल्कि यह पूरा सदन उनको श्रद्धांजलि देता है।

स्पीकर सर, इसी सदन के माननीय सदस्य और सरकार के मंत्री चौधरी सुरेन्द्र सिंह का आकस्मिक निधन हम सभी जानते हैं कि हेलीकाप्टर दुर्घटना में हुआ। स्पीकर सर, चौधरी सुरेन्द्र सिंह का व्यक्तित्व भी शब्दों का मोहताज नहीं था और न ही राजनीति दायरों का मोहताज था। स्पीकर सर, आपने एक से अधिक बार उनके साथ बतौर विधान सभा के सदस्य और बतौर विधान सभा अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त था कि वे यहीं पर बैठते थे। सदन में कोई भी बात हो, हमेशा उनका कन्ट्रीब्यूशन रचनात्मक होता था, सहयोग वाला होता था और बार-बार वे विपक्ष के सदस्यों को एक ही बात कहा करते थे कि मुझे आज भी याद है कि हम किसी की आवाज को दबायेंगे नहीं बल्कि आप आलोचना कीजिए हम उसका स्वागत करेंगे। चौधरी सुरेन्द्र सिंह का जो व्यक्तित्व था जो उनका उदार हृदय था, सहजता से सभी दलों के लोगों को सभी विचारधारा के लोगों को अपने आप में वह मोह होता था। उनका मुस्कराता हुआ चेहरा जब-जब भी हम इस सदन के अन्दर आएंगे तो वह हमें दिखाई देता महसूस होगा। हर समस्या को बड़ी सहजता से लेने वाला चेहरा, हर मुश्किल को मिनटों में चुटकियों में हल करने वाला चेहरा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई सदस्य हो या हरियाणा या पूरे देश का कोई भी निवासी हो जिनका उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ाव रहा हो, वह उनको भुला नहीं पाएगा। हमें जहां इस बात का दु:ख है कि आज वे हमारे बीच में नहीं हैं और उनके निधन से होने वाले नुकसान की हम भरपाई नहीं कर पाएंगें। इसके साथ-साथ हमें इस बात की खुशी भी है कि उसी परिपाटी को, उसी बात को लेकर उसी मशाल को लेकर, उसी शमां को लेकर जो उन्होंने जलाई थी उनकी धर्मपत्नी जी आज हमारे बीच में हैं। हम सब का यह प्रयास रहेगा कि जो उन्होंने खेलीबाड़ी के लिए, नौजवानों के लिए या दूसरों कामों के लिए बुनियाद रखी थी, यह सदन उन नीतियों पर, उन कार्यों पर ने केवल विचार विमर्श करे बल्कि उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करे। खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर से जिनका उनके साथ जुड़ाव रहा, मुझे नहीं लगता कि वे उनको कभी भुला पाएंगे। यह सदन या प्रान्त उनके निधन से होने वाले नुक्सान को कभी पूरा नहीं कर पाएगा।

अध्यक्ष महोदय हमारे दूसरे वरिष्ठ मंत्री श्री ओम प्रकाश जिन्दल जी, जिनको सब बाउजी के नाम से पुकारते थे। वे भी आज हमारे बीच नहीं हैं। जब जब जिन्दल साहब के पास भिन्न-2 राजनीतिक दलों के लोग और भिन्न विचार धाराओं के लोग जाते थे तो वे एक ही बात कहते थे, ठीक है कि राजनीति में हम एक तरफ हैं, आप दूसरी तरफ है, हमारे और आपके वैचारिक मतभेद

हो सकते हैं लेकिन वे हमेशा कहते थे कि समाज और पारस्परिक रिश्ते राजनीतिक विरोध से परे हैं। उन्होंने यह साबित कर के दिखाया कि किस तरह से एक साधारण परिवार में रहने वाला, छोटे से शहर में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने हाथ से कार्य करके हरियाणा का नाम न केवल औद्योगिक जगत में बल्कि समाज और राजनीतिक जगत में ऊंचा कर सकता है। उन्होंने हमको यह भी दिखाया कि किस प्रकार राजनीति में नई दिशा लाई जा सकती है। उन्होंने हमको यह भी दिखाया कि किस प्रकार से नौजवान और बुजर्ग को रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी धर्मपत्नी आज हमारे बीच सदस्या हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हरियाणा में उद्योग के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में जिस क्रांति का सपना वे देखते थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार उसको जारी रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों, हरियाणा के शहीदों में विशेष तौर से हमारे साथी श्री राम किशन जी और हमारे साथी श्री नरेश मलिक के परिवार के सदस्यों का निधन हुआ है। मैं इनके परिवार की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी को जो आज हमारे बीच में नहीं है अपने चरणों में स्थान दे।

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो शोक प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम याद करें तो जब हम छोटे बच्चे होते थे तो सुनील दत्त जी की फिल्में देखा करते थे। हमारे दिल में बड़ा चाव होता था कि वे किस तरह से फिल्मों में कलाकारी करते हैं। उस वक्त हम बड़े नादान होते थे और हम स्कूल छोड़कर उनकी फिल्में देखने जाया करते थे। जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में काम किया ठीक उसी तरह का काम बाद में हमने उनकी व्यवहारिक जिन्दगी में महसूस किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बतौर सांसद रहा हूं। मैं उनसे मिलता था तो मुझे बचपन की बातें याद आ जाया करती थीं। कि कैसे मैं उनको परदे पर देखता था और कैसे अब उनको असलियत में देख रहा हूं। उनका स्वभाव बड़ा सौम्य था। वे हर बात को अच्छे ढंग से पेश करते थे। वे कोई पार्टी नहीं देखते थे। वे सबके साथ बिना भेदभाव के मिलते थे। उनका काम समाज में सुधार के तौर पर बदलाव लाना था। वे अच्छे समाज सुधारक थे, अच्छे राष्ट्रीय नेता थे, और अच्छे मंत्री थे, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन पर मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं जोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे मंत्री चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी एक ऐसे हादसे का शिकार हुए जिसको हरियाणा के लोग भुला नहीं सकते। मुझे आज भी याद है कि वे कैसे व्यक्ति थे ? स्पीकर साहब, मेरा और उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। मैं भी भिवानी जिले का हूं। उनका गांव गोलागढ़ है और मेरा गांव गिगनऊ है। जब पहली बार मैं पार्लियामैंट में गया था तो उन्होंने बड़े भाई की तरह मुझे आर्शीवाद दिया और कहा कि बहुत अच्छा लगा कि एक गरीब परिवार का साथी हमारे बीच में आया है। अध्यक्ष महोदय, वे लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और अपनी बात बड़े हंसमुख ढंग से कहते थे और दूसरों की बात भी बड़ी सहजता से सुनते थे। पार्लियामैंट में जब भी कोई बात मैं कहता था तो बाहर आने पर वे मुझे कहते कि आपने बहुत अच्छी बात कही । जब हम पार्लियामैंट से बाहर आकर एक साथ बैठकर चाय पीते थे तो उस समय हम आपस में राजनीतिक और अपने घर परिवार की चर्चा किया करते थे। उनके निधन के समय जब मैं उनके घर पर गया

[डा० सुशील इन्दौरा]

तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गये। चौधरी रणबीर सिंह महेन्द्रा जी उनके भाई यहां बैठे हुए हैं लेकिन मैं महसूस करता हूं कि उनके निधन से मैंने सचमुच में अपने बड़े भाई को खो दिया है। चौधरी सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु को न तो मैं भुला पाऊंगा और न यह सदन भुला पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यहां पर स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का जिक्र किया गया है मैं बताना चाहूंगा कि उनके साथ मेरा लम्बा चौड़ा रिश्ता नहीं रहा। उनके बारे में मैंने यह सुन रखा था कि वे आवभगत बहुत अच्छी करते हैं। जब पहली दफा मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य अपने नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिला तब मुझे मालूम हुआ कि उनके बारे में जो सुन रखा था वे उससे भी अच्छी आवभगत करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपने नेता के साथ एक दफा सुबह-सुबह उनके घर गया था। उस समय वे अपने घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं उस समय उनसे पहली बार मिल रहा था लेकिन मुझे उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे यह चीज खाओ, वह चीज खाओ। उसके बाद भी मुझे कई दफा उनसे मिलने का अवसर मिला कभी सत्ता के गलियारों में तो कभी दूसरी जगहों पर। अग्रोहा मैडीकल कालेज से वे जुड़े हुए थे। कई दफा वहां उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके निधन से हमने एक बड़े उद्योगपति, अच्छे राजनेता और अच्छे इंसान को खो दिया है। उन्हें हम सदा याद करेंगे।

इसके साथ-साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वे भी आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से भी मुझे गहरा दुःख है। उनके नाम पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजली देता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ-साथ मेरे साथी सांसद श्री अवतार सिंह भडाना के भाई तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री राम किशन के ससुर श्री संत सिंह, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेश मलिक की भाभी श्रीमती अनिता देवी के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। अंत में मैं पिछले अधिवेशन से लेकर अब तक जो राजनेता, समाजसेवी, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हमारे बीच में नहीं रहे उन सबके शोक संतप्त परिवारों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से और हम सबकी तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से इतना जरूर कहूंगा कि भाई सुरेन्द्र सिंह जी और श्री ओम प्रकाश जिंदल जी पार्लियामैंट्री डैमोक्रैसी में बहुत विश्वास रखते थे। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली उनको यही होगी कि हम उनके दिखाये हुए रास्ते पर सरकार काम करे और यह सदन चले। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके साथ मैं अपने को और अपनी पार्टी को जोड़ता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। जहां तक सुनील दत्त जी का सवाल है अभी उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि वे बहुत बड़े शांति के दूत थे, नेक इंसान थे और देश भक्त

थे। उनके निधन से सारा देश दुखी है। उनकी मौत से उनकी कमी हमें सदा याद रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाई सुरेन्द्र सिंह जी का सवाल है उस बारे में बताना चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। जब विमान दुर्घटना में उनकी और श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की मृत्यु की खबर मुझे मिली तो वह घड़ी मेरे लिए बहुत दुखद घड़ी थी, उनकी मृत्यु की खबर से मुझे बड़ा भारी झटका लगा। चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी स्कूल के दिनों में मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे। और मैं उस समय कैप्टन होता था। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन हमारे राजनैतिक विचार नहीं मिले और बहुत साल तक हम दूर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा, लेकिन जब वे दोबारा एम०एल०ए० बनकर आए तो वे मुझे मिले और कहने लगे कि अब हम मिल कर इकट्ठे चलेंगे। उस समय वहां पर और भी कई साथी थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप गौतम जी को जानते हैं तो उन्होंने कहा कि हां बहुत अच्छी तरह से जानता हूं हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। मैंने मज़ाक में कह दिया कि भाई सजा भी मैंने इनके बापू के और इनके राज में ही काटी थी। इस बात पर वे मुझे कहने लगे कि क्या यह बात कहनी जरूरी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या पता था कि यह सारी बातें यूं ही यादगार के रूप में रह जाएंगी। इसके कुछ दिन बाद जब हवाई हादसे में उनका देहान्त हुआ तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिन्दल साहब की बात है, श्री ओम प्रकाश जिन्दल जी की पार्टी और हमारी पार्टी अलग थी लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में 20 दिन में उनका फोन मेरे पास आ जाता था। हर ईशू पर कोई भी बात होती थी तो वे मेरे से सलाह कर लेते थे। हालांकि मैं बी०जे०पी० में हूं और वे कांग्रेस पार्टी में थे फिर भी मेरे साथ उनके बहुत ही अच्छे सम्बन्ध थे। वे बहुत ही नेक इन्सान थे, बड़े दिलेर आदमी थे और बहुत ही पक्के इरादे के व्यक्ति थे। उनकी मौत की जब मुझे खबर मिली तो मुझे एकदम करण्ट सा लगा और सहसा इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है और हरियाणा की राजनीति में उनकी मृत्यु का बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से दुख प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच में से चले गए हैं, उनके चले जाने का भी मुझे बहुत दुख है। स्वतन्त्रता सेनानी इस देश की धरोहर हैं हम सभी को उनके चले जाने का बहुत भारी दुख है लेकिन यह संसार नश्वर है, जो इस धरती पर आया है उसको जाना ही पड़ेगा लेकिन उनके चले जाने का बहुत भारी दुख है। उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की संवेदना प्रकट करता हूं और जो साथी हमारे बीच से चले गए हैं, उनके जाने का बहुत दुख है। शारदा जी मेरे बहुत ही पर्सनल जानने वाले थे। वे फ्रीडम फाईटर थे और बहुत ही उच्च कोटि के पत्रकार थे। उनकी मौत का भी बहुत ही अफसोस है। भाई नरेश मलिक के भाई की मिसेज की जिन हालात में मृत्यु हुई उसका भी बड़ा भारी दुख है और हम सब को उनके निधन का बहुत भारी अफसोस है। मैं इन सबके लिए अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं और अपनी संवेदना प्रगट करता हूं।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो वायुयान की दुर्घटना हुई जिसमें हमारे दो मन्त्रियों का निधन हो गया था उस हवाई हादसे में उस हवाई जहाज के पायलट कर्नल टी०एस० चौहान की भी मृत्यु हो गई है मेरा सरकार से निवेदन है कि उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों में जोड़ लिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आनरेबल मैम्बर्ज, आज हम हाउस में बड़े दुखी हृदय के साथ बैठे हैं। हमारे वे परम मित्र, चौधरी सुरेन्द्र सिंह और जिन्दल साहब हमें छोड़ कर चले गए हैं जिनको हम यह समझते थे कि वे आने वाला हरियाणा है। जिन्दल साहब यह कहा करते थे कि दो साल में हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी और सुरेन्द्र सिंह जी यह कहा करते थे कि दो साल के बाद खेती-बाड़ी में हरियाणा के किसान किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। आज उन दोनों के चले जाने से हाउस को तथा हरियाणा सूबे को बहुत घाटा हुआ है। मुझे सुरेन्द्र सिंह के पिता जी के साथ काम करने का मौका मिला । यहां पर चौधरी सुरेन्द्र सिंह की धर्मपत्नी बैठी हुई हैं और जिन्दल साहब की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं। बहुत ही दुख है वे लोग जिनके सामने कुछ निशाना था वे आज हमें छोड़ कर चले गए। स्पीकर साहब, श्री सुनील दत्त जी का भी निधन हो गया है हमारे दोनों मन्त्रियों के साथ-साथ जहाज के पायलट श्री चौहान जी भी चले गए हैं। इनके अलावा हमारे कई फ्रीडम फाईटर भी हमें छोड़कर चले गए हैं। यह सारा हाउस उन परिवारों के प्रति हमदर्दी प्रकट करता है और परम पिता परमात्मा से उनके पीछे सुख और शांति मांगता है। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से भी यहां की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दूंगा। मैं सारे हाउस से यह निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय हाउस के सभी माननीय सदस्यगण ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

सदस्य द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Madam Savitri Jindal, has come in the House. I call upon Smt. Savitri Jindal, a member who has returned in the Bye-election from 74 Hissar Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on 2nd June, 2005 to subscribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.

I will also request her for signing the Roll of Members placed on the Secretary's table after making subscribe oath/affirmation of allegiance.

(At this stage Smt. Savitri Jindal, subscribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना/वाक आउट

Mr.Speaker : Hon'ble Members, now Qestions Hour. (Interruption) प्लीज आप शान्ति के साथ बैठें हम इतने शोक में बैठे हुए हैं, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। कम से कम आप एक मिनट अब रुक तो जाओ। (शोर एवं विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Sir, I want to say something.

Mr. Speaker: Not at this stage.

Dr. Sushil Indora : Sir, I have given a notice of adjournment motion regarding retrenchment of more than 15,000 Haryana Government employees. particularly that of H.S.I.S.F. हम चाहते हैं कि प्रश्न काल से पहले इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। (शोर)

Mr. Speaker : It does not look nice. I am examining that. Please take your seat.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, यह 15,000 इम्पलाईज के भविष्य की बात है।

Mr. Speaker : When I am saying that I examining that then why you are interrupting. (Interruptions) It is very sad you want to revert to last year. This is not the way. Nothing to be recorded. (Interruptions)

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं और आप ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप को इस बारे में प्रश्न काल से पहले डिस्कशन करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)

Mr. Speaker : This is not the way. I will not allow it. (Interruptions). I have said categorically, I will not allow it.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *।

Mr. Speaker : I know what do you want. You want news in the Newspaper that you have staged walked out. (Interruptions) Nothing to be recorded.

Dr. Sushil Indora : Mr. Speaker , * * * * * * * * * *.

Dr. Sita Ram : Mr. Speaker , * * * * * * * * * * *.

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. Let them say what they want to say (Interruptions). I will request you as a Speaker or as a friend to take your seat. This is not the time to speak. You have given the notice and I am examining that. (Interruptions). This is not the way.

Dr. Sushil Indora : Mr. Speaker , * * * * * * * * * *.

Mr. Speaker : Please take your seat. I say, everybody has noted that you are fighting for them.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *।

Mr. Speaker : You have give the notice. I am considering it. (Interruptions) I will not allow it. Dalal Sahib, please go ahead.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इन्दौरा साहब सब कुछ जानते हैं। ये संसद के सदस्य भी रहे हैं और इस हाउस के भी माननीय सदस्य हैं। इन्होंने जो इस बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है उसको आप कंसीडर कर रहे हैं। सात-आठ दिन का हाउस है इसलिए इनको अपनी बात कहने का हर मौके पर पूरा समय मिलेगा। परन्तु आज तो कम से कम इनको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह समय क्वैश्चन ऑवर का है इसलिए क्वैश्चन ऑवर से पहले इनको हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Listen Mr. Indora. मुझे आपका एडजर्नमैंट मोशन आज डेढ़ बजे ही मिला है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat. This is what you wanted to do.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आज ये टर्मीनेटेड इम्पलाईज के हिमायती बनते हैं लेकिन इनकी सरकार के समय में 22 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था परन्तु उस समय इन्दौरा साहब की आवाज एक बार भी नहीं निकली थी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अगर इनका वाक आउट करने का लक्ष्य है तो अलग बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे। Dalal Sahab, put your question. (Interruptions)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now question. Hour.

Amount realised on the auctioning of Liquor Vends

***Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state —

(a) the total amount realised on the auctioning of liquor vends in the State for the year 2005-2006;

(b) the total amount realised on the auctioning of liquor vends in the State during the year 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005; and

(c) whether there is any shortfall in the realization of revenue during the year 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 in comparison to the amount realised for the year 2005-2006 from the auction of liquor vends; if so, the reasons thereof ?

Excise & Taxation Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma) :

(a) the total amount of Rs. 837.99 crores has been realized on the auctioning of liquor vends in the State for the year 2005-2006.

(b) the total amount realized on the auctioning of liquor vends in the State during the year 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 is given as under :—

Year	Amount (Rs. In crore)
2002-2003	664.35
2003-2004	696.69
2004-2005	717.75

(c) the growth or shortfall in revenue can only be compared with the previous year. The percentage of growth of revenue in each of said years was as under :—

(figures in crores Rs.)

Year	Amount realized from the auction of liquor vends	Increase/ decrease	% increase/ decrease
2002-2003	664.35	34.23	5.43
2003-2004	696.69	32.34	4.87
2004-2005	717.75	21.06	3.02
2005-2006	837.99	120.24	16.75

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वह सदन के पटल पर है मेरे सवाल का पूरा जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है इसलिए मैं इनको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रश्न में लास्ट में लिखा है कि If so, the reasons thereof. अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उन्होंने जो जानकारी सदन को दी है उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने निजी मुनाफा कमाने के लिए सारे कानून कायदों को ताक पर रख दिया था और एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की भी तमाम मर्यादाओं को तोड़ा था।

Mr. Speaker : Dalal Sahab, Put the Supplementary. आप भाषण न दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं वही पूछ रहा हूं। इसमें जो इन्होंने इतना अंतर माना है तो ये इसके कारण बताएं। मंत्री जी ने माना है कि वर्ष 2002-2003 में राजस्व की बढ़ोत्तरी की परसैंटेज 5.43 परसैंट, 2003-2004 में 4.87 परसैंट और वर्ष 2004-2005 में 3.02 परसैंट रही। अध्यक्ष महोदय, जब नई सरकार बनी और जब उसने इस बारे में एक सही तरीका अपनाया तो इस बढ़ोत्तरी में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। इस सरकार ने प्रदेश के लोगों को बहुत पैसा कमाकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह तो भाषण हो गया। Put the Supplementary.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, भाषण में से ही कुछ न कुछ निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप बाद में निकालते रहना । अभी बजट आना है। अभी आप केवल सप्लीमैंट्री पूछे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस इंक्रीज में जो इतना बड़ा अंतर है तो क्या मंत्री जी पिछली सरकार के इस विभाग के मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ या इस विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ जो आक्शन पर जाया करते थे, कोई जाँच निष्पक्ष तरीके से करवाकर इस सदन को बताएंगे कि यह बड़ा घोटाला क्यों हुआ ? क्या ये उस वक्त से मुख्यमंत्री, मंत्री या जो अधिकारी थे ; के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

Shri Vinod Kumar Sharma : Speaker Sir, Hon'ble Member has asked the question. He wants a clarification. I think my answer was quite explicit; still I would like to clarify the point that he has asked (Interruptions).

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी हिन्दी में जवाब दें।

Mr. Speaker : Dangi Sahib, please take your seat. Minister is on his legs.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में सभी सदस्यों को समझ में नहीं आता है।

Mr. Speaker : English is also the language of the House. If you want that all the members should speak in Hindi then we will have to amend the rules.

श्री आनन्द सिंह डांगी : यहां पर सभी सुनने के लिए बैठे हैं, सबको पता लगना चाहिए कार्यवाही का, कि सदन में क्या कार्यवाही हो रही है। यहां पर दूसरे लोग भी बैठे हैं और सदस्य भी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप बैठ जाइए।

Shri Vinod Kumar Sharma : It is very clear (Interruptions)

Mr. Speaker : It is not necessary, Dangi Sahib, Please take your seat. I say, please take your seat.

Shri Vinod Kumar Sharma : It is very clear from the table that the increase of revenue in the year 2002-2003, it was only 5.43% in the year 2003-2004 it was 4.87%, in the year 2004-2005 it was 3.02% and in the year 2005-2006 this increase was 16.75%. Now, I can say that the increase in 2005-2006 is more than the 5 years cumulative increase put in together. That means that the revenue collected previously was less as compared to the revenue collected this year.

श्री बलबंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं कराधान मंत्री जी बड़े ही काबिल वजीर हैं। इनकी शुगर मिलें भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने बताया है क्या यह बोली (ओकसन) का है। स्पीकर साहब यह सही बात है कि वाकई में इस साल रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि जो शराब का कोटा था क्या वह भी बढ़ाया गया है ? मेरे कहने का मतलब है कि क्या शराब का कोटा बढ़ाने की वजह से यह रेवेन्यू बढ़ा है ? कृपया मन्त्री जी इसकी जानकारी दें ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शराब का कोटा पौलिसी के तहत ही बढ़ाया गया है। जो राशि इन्क्रीज है वह जितनी रिफ्लैक्ट कर रही है वह हमने शराब का जो कोटा बढ़ाया है उसकी अपेक्षा ज्यादा इन्क्रीज हुई है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आबकारी एवं कराधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर इन्होंने अभी जवाब सदन में दिया है। कृप्या मंत्री जी बताएं कि वर्ष 1990-91 के आंकड़े क्या थे और उस समय के क्या हालात थे ?

Mr. Speaker : This is not relevant . आप मुझे यह कहो कि दस साल पहले क्या हुआ How we can say ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरी सप्लीमैंट्री का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमैंट्री तो काफी पुरानी है। आप 1990-91 की बात पूछ रहे हैं । If, you want to ask the supplementary तो आप अपनी सप्लीमैंट्री याद कर लो, फिर पूछ लेना। मैं आपको दोबारा टाइम दे दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने ठेकों की ऑक्शन हुई थी उनकी कीमत बहुत कम आंकी गई थी क्योंकि उसमें सबकी मिली भगत थी, उसमें सरकार की साजिश थी, अधिकारियों का हिस्सा था और मुख्यमंत्री का हिस्सा था । अधिकारियों व मुख्यमंत्री की मिलीभगत से जबरन ज्यादा बोली लगाने वालों को नीलामी की बोली नहीं लगाने दी जाती थी इसलिए कम रेवेन्यू आया। आज हरियाणा की जनता यह जानना चाहती है कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हां, यह कहो कि हरियाणा प्रदेश की जनता आज यह जानना चाहती है। आप इसकी ऐलाबोरेशन न करो।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से फिर वही सवाल है कि पिछली सरकार के समय में पिछले वर्षों में जो शराब से कम आमदनी हुई, उसके पीछे उस सरकार की साजिश थी क्या मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे या नहीं। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जब ठेकों की ऑक्शन शुरू होती है तो मंत्री जी सदन को बताएं कि जो अधिकारी ऑक्शन करने जाते हैं वे कौन से रूल के तहत और कौन से कानून के तहत जाते हैं। विभाग के अधिकारी 1/3 का नियम जब उनका मन आता है तब लगा देते हैं। कृपया मंत्री जी सदन को यह भी जानकारी दें कि क्या इसके कोई रूल्ज और रैगुलेशंज हैं ? क्या इनकी वजह से सरकार को कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है ?

Shri Venod Kumar Sharma : As per Rule 36 (12) of the Haryana Liquor Licence Rules, 1970, there is a condition of depositing 1/3rd amount of the Bid at the time of auction to safeguard the revenue of Government and to discourage speculative bids. Everyone is free to bid after depositing 1/3rd of the money. This condition of 1/3rd is as per the rules and was intimated to all the prospective bidders before the auction and it was also incorporated as a part of the excise announcement. It is only to see when the bid is speculated to safeguard the revenue of the Government. It is not an additional amount asked from the contractor. It is within the amount he has to deposit but the amount is asked to ensure that he is capable of giving that much of money or may be after bidding, he may not leave the place and the Government cannot recover that money.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, पिछले साल 2004-2005 में जो शराब के ठेके दिए गये हैं वे कितने लाख प्रूफ लीटर थे और कितना कोटा निर्धारित किया गया था। साल 2005-2006 में कितने लाख प्रूफ लीटर कोटा निर्धारित किया गया है और इसमें बढ़ोसरी कितने प्रतिशत हुई है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह इन्फोर्मेशन राईटिंग में भेज दी जायेगी।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में टोटल नम्बर ऑफ वैंड्स कितनी हैं ? कृप्या मन्त्री जी यह भी बताएं कि अर्बन और रूरल के अलावा कौन-कौन सी जगह वैंड्स स्थापित हैं ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह इन्फोर्मेशन राईटिंग में भेज दी जायेगी।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, इसी प्रश्न से संबंधित अगला प्रश्न यह है कि बड़ी शानदार इन्क्रीज शराब के ठेके देने से हुई है। अगर यही वैंड्स इन्डिविजुअल तौर पर शॉप के रूप में ऑक्शन की जाती तो मैं समझता हूं इससे इम्पलायमैंट जनरेशन ज्यादा होती और रेवेन्यू में भी ज्यादा इन्क्रीज होती । क्या सरकार भविष्य में ऐसी कोई योजना बनायेगी।

Shri Vinod Kumar Sharma : The vends are auctioned with the policy decision by the Government and the new policy for the next year is to be decided by the end of March and nothing can be said about it.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सपलीमैंट्री पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले शासन के दौरान जो ठेके नीलाम किए गये थे उनमें रैवैन्यू इतना कम था क्या इस बारे में सरकार कोई इन्क्वायरी करवायेगी ? क्या मन्त्री जी इस प्रकार की इन्क्वायरी करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में अपनी शिकायत लिखित रूप में दे दें तो उस पर गौर किया जायेगा ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने जनता को वचन दिया था कि हर घर में रोजगार देंगे, क्रप्शन को दूर करेंगे (विघ्न)

Mr. Speaker : Please sit down. I would not allow you to deliver lecture.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने जनता को वचन दिया था कि हर घर में रोजगार देंगे। मेरे इस हिसाब से इन्होंने 1600 ठेके शराब के दिए हैं। पहले की सरकार के समय तो ये ठेके एक ही आदमी के पास होते थे या चौटाला साहब के खुद के या रिश्तेदारों के पास होते थे। अब ये 1600 ठेके दिए गए हैं। अगर ये ठेके अलग-अलग आदमियों को दिए जाते तो काफी लोगों को रोजगार मिलता।

श्री अध्यक्ष : आपका सपलीमैंट्री क्या है ?

श्री राम कुमार गौतम : कम से कम आगे इस बात का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सुजैशन नहीं है, आप बैठ जायें।

Imbalance in distribution of canal water

@Shri Dharam Pal Singh Malik
Shri Naresh Yadav
Shri Sita Ram } **:** Will the minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total quantum of canal water available in the State of Haryana as it stored on 31st March, 2005;

(b) whether there is any imbalance in the distribution of water for irrigation in different areas of the State ; and

(c) if the reply to part (b) above is in affirmative, the steps proposed to be taken by the State Government to remove this imbalance in distribution of water ?

@ Put by Shri Dharampal Singh Malik

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) 31-3-2005 को भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों में उपयोगी पानी का भण्डारण क्रमश : 0.84 एम०ए०एफ०, 1.79 एम०ए०एफ० और 0.69 एम०ए०एफ० था। दिनांक 31-3-2005 को सतलुज, रावी व ब्यास के एकत्रित हुए पानी में से हरियाणा का हिस्सा 0.65 एम०ए०एफ० था (सतलुज का 0.21 एम०ए०एफ० तथा रावी ब्यास का 0.44 एम०ए०एफ०) जबकि यमुना पर कोई भण्डारण नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमान जी।

(ग) उपलब्ध नहरी पानी के बंटवारे की असमानता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

(i) उपलब्ध जल की आपूर्ति के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने की ओर अधिक ध्यान देना।

(ii) उठान नहर प्रणाली की वितरण क्षमता में सुधार करना।

(iii) भाखड़ा नहर प्रणाली एवं यमुना नहर प्रणाली में एक अतिरिक्त लिंक नहर का निर्माण करना।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी की निष्पक्षता और फराखदिली के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम यह माना तो सही कि पानी के बंटवारे में अनियमितताएं हुई हैं। पिछले 40 साल के अर्से में तो किसी ने यह माना ही नहीं कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अनियमितता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और इसके साथ-साथ इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि जो बात चुनाव के दिनों में कही गई, जो बात हमारे घोषणा पत्र में आई थी कि हम पानी का समान डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आज वे इस बात के उपर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्य से मंत्री महोदय से यह सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं कि वे एग्जैक्ट कौन से एरियाज हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उन्होंने उन एरियाज को आईडैंटीफाई किया है। क्योंकि क्वैश्चन तो काफी वेग और इमबैलेंस है। इमबैलेंस तो यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग ज्यादा पानी ले रहे हैं उनके साथ भी इमबैलेंस हुआ हो। मंत्री जी बताएं कि एग्जैक्ट कौन से एरियाज हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में डिसक्रिमीनेशन है खासतौर से बी०एम०एल० जो सिस्टम है जिसमें सिरसा, फतेहाबाद के एरियाज आते हैं। उस एरियाज में जो अवेलेबल वाटर है उससे 70 प्रतिशत पानी ज्यादा जा रहा है। स्टेट का जो आन एन एवरेज वाटर है वह 1.855 एम०ए०एफ० है लेकिन वहां खरीफ सीजन में 1.987 एम०ए०एफ० वाटर जा रहा है। उसी प्रकार रबी में जो हमारा आन एन एवरेज वाटर है वह 1.281 एम०ए०एफ० है। जो बी०एम०एल० सिस्टम है जिसका मैंने जिक्र किया है, वहां 1.79 एम०ए०एफ० पानी जा रहा है और जिन एरियाज के साथ ज्यादती हुई है वे खास तौर से लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम के एरियाज हैं जो डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम

है वहां पर भी कुछ इस प्रकार की ज्यादतियां हुई हैं। कुल पानी आज के दिन लिफ्ट सिस्टम में प्वांयट 929 एम०ए०एफ० जा रहा है। रबी के दौरान प्वांयट 849 एम०ए०एफ० जा रहा है। इस प्रकार पहले बहुत भारी अनियमितताएं हुई थीं। उनको देखते हुए हमने कोशिश की है कि सिस्टम में कुछ सुधार लाएं और इसके लिए हमने कई योजनाएं चलाई हैं। सबसे पहली कार्यवाही हमने जो की है वह यह है कि जितने लिफ्ट कैनाल में पम्पस थे उनको दोबारा रिपेयर कराया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मलिक जी ने सप्लीमैंटरी पूछी है कि किन-किन एरियाज में पानी कम मिला है उन्होंने यह नहीं पूछा कि टोटल कितनी प्रोडैक्शन हुई।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, रोहतक, झज्जर के किसानों के साथ ज्यादती हुई है और उनको कम पानी मिला है। ज्यादा पानी तो केवल डेढ़ जिले को ही मिल रहा था।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भिवानी जिले को पहले 3.5 क्यूसिक्स पानी मिलता था और अब उसको कम करके 2.5 क्यूसिक्स क्यों कर दिया गया है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो मुद्दा उठाया है इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस समय यह लिफ्ट कैनाल बनी थी उस समय यह विचार था कि जो रेतीला एरियाज है जहां पर लिफ्ट कैनाल के थ्रू पानी लिफ्ट किया जायेगा वहां पर पानी का रेट 3.05 क्यूसिक पर थाउजैंड एकड़ होगा और बाकी के एरियाज में 2.4 क्यूसिक पर थाउजैंड एकड़ होगा। मेरे माननीय साथी ने यह सही बात कही है कि इस 3.05 क्यूसिक पानी को 2003 में पिछली सरकार ने जान बूझ कर कम करके उस एरिया के साथ भेदभाव करने के लिए 2.4 क्यूसिक कर दिया था। इस बारे में मैं मेरे साथी रणबीर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि इसको रिव्यू करवाने के लिए हमने अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिया है और पानी के मामले में पहले जो अनियमितताएं होती रही थीं, उसको हम दूर करेंगे।

15.00 बजे

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा जो पहला सप्लीमैंट्री था उसका जवाब मंत्री जी ने महेन्द्रगढ़ से शुरू करके रोहतक तक खत्म कर दिया और ये सोनीपत तक नहीं पहुंचे। जो एरियाज identify करने थे पुराना रोहतक including सोनीपत व पानीपत उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से एक षड्यंत्र के तहत यह नारा लगाते रहे कि हमारे इलाके को एस०वाई०एल० का पानी आने पर पूरा पानी मिलेगा। लेकिन एस०वाई०एल० का पानी कब तक आयेगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता । आप देख रहे हैं कि 40 साल हो गये, अब तक तो पानी आया नहीं है। अब मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि आज के दिन हमारी स्टेट में जो पानी मौजूद है क्या उसका बंटवारा बराबरी के आधार पर हमारी सरकार करेगी और करेगी तो कब तक यह इम्पीमैंट हो जायेगा। एस०वाई०एल० का पानी जब आयेगा उसका बंटवारा तब हो जायेगा लेकिन इस समय जो पानी मौजूद है उसका समान बंटवारा कब तक किया जायेगा और कौन से चैनल से यह पानी सोनीपत के एरिया में आयेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात कही है वह बिलकुल सही कही है। नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी 4202 क्यूसिक है, जिसका पानी साउथ हरियाणा में जाता है जिसमें सोनीपत का एरिया भी आता है उसमें पानी की काफी दिक्कत रहती है। इसमें कुछ पंजाब का एरिया भी पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक तो हमने जिन नहरों की आज तक डीसिल्टिंग नहीं हुई थी उनकी डीसिल्टिंग करवा रहे हैं जिस पर आने वाले 3-4 महीने में 10 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिसमें जे०एल०एन० भी शामिल है और दूसरी नहरें भी शामिल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नहरें नाले बन गई थी वे दोबारा से नहर बन सकें। माननीय साथी ने पूछा कि साउथ हरियाणा में किस प्रकार पानी आयेगा ? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक और हम भाखड़ा का पानी लाने के लिए बी०एम०एल० हांसी ब्रांच और बुटाना ब्रांच मल्टी परपज लिंक कैनाल बना रहे हैं और इस परियोजना के द्वारा तकरीबन 2000 क्यूसिक पानी आयेगा। पहले सिर्फ नरवाना ब्रांच से यह पानी आता था, अब इसके पैरलल दूसरी लिंक कैनाल बना रहे हैं जिस पर करीबन 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कनाल 106 किलो मीटर लम्बी होगी और इसकी कैपेसीटी 2000 क्यूसिक होगी। इस कैनाल को बनाने के बाद जब बरसात के दिनों में कैथल और जींद के एरियाज में जो बाढ़ का पानी होगा वह पानी राईस ग्रोविंग एरियाज में दिया जायेगा। जहां तक साउथ हरियाणा की बात है, जिसमें सोनीपत का एरिया भी है वहां पर खासतौर से इसका पानी मिलेगा। जहां तक मौजूदा पानी के इमबैलैंस का सवाल है उसको दूर करने के लिए और केवल 1.62 एम०ए०एफ० रावी ब्यास का पानी जो हमें मिलना चाहिए उसके हिस्से की बात कर रहे हैं। जो पानी हमें एस०वाई०एल० से मिलना है वह अलग ईशू है। लेकिन इसके बनने से मैं समझता हूं कि यह जो अनियमितता पानी की है इसको हम दूर कर पायेंगे और आज जो 16 दिन पानी आपकी नहर में चल रहा है उसको बढ़ाकर 24 दिन चला सकेंगे।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात स्वीकार की है कि पानी के वितरण में असमानता रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र महेन्द्रगढ़ एवं रिवाड़ी आज तक पानी से अछूते रहे हैं। इन इलाकों के लिए सरकार पानी का प्रावधान कर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार पानी का जो प्रावधान कर रही है हमें किस मात्रा में पानी मिल पाएगा और किस चैनल से मिलेगा, अगर वह ब्लॉकवाईज स्थिति बताने की कृपा करें तो धन्यवाद होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,. इन्हें नरवाना लिंक ब्रान्च के द्वारा पानी मिल रहा है। ज्यादा पानी देने के लिए हमारे जितने भी पम्प हाउसिज हैं उनको हम दोबारा से ठीक करवा रहें हैं क्योंकि पम्प हाउसिज की लिफटिंग कैपेसिटी मात्र 25-30% रह गई थी उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। यह क्षमता बढ़ जाने के बाद मैं यह समझता हूं कि पहले जो पानी 7-8 दिन तक चलता था तथा 22-23 दिन बन्द रहता था हमारी सरकार आने के बाद अब हम 16 दिन तक पानी चला रहे हैं। 33% पानी हमने ऑलरेडी इन्क्रीज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अब हम नहरों की डि-सिल्टिंग का काम भी करवा रहे हैं और इस काम पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले 3-4 महीने में जे०एल०एन० कैनाल की डि-सिल्टिंग करवा देंगे। जे०एल०एन० कैनाल जब से बनी है उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई है और जितनी भी लिफ्ट कैनाल हैं उनकी भी डि-सिल्टिंग नहीं हुई है। और न ही किसी कैनाल की रिपेयर हुई थी। इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। यह जो हांसी और उकलाना ब्रान्च है उसके द्वारा कुछ पानी सोनीपत और झज्जर के ऐरिया में चला जाएगा और

यह जो नरवाना लिंक ब्रान्च है उससे हमारे ऐरिया में पानी आ जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाने से हम 16 दिन की बजाए 24 दिन तक पानी चलाएंगे।

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा हो रही है इसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि सरकार की नीति है और किसानों के बारे में भी प्रदेश में सभी संसाधनों के समान बंटवारे की बात थी। जिले और इलाके का कोई सवाल नहीं है। सिंचाई के हमारे दो सिस्टम हैं एक है भाखड़ा सिस्टम और दूसरा यमुना सिस्टम है, इनसे सब को समान पानी मिलेगा। इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिएं वह एप्रोप्रियेट कदम सरकार उठा रही है ताकि टेलों तक पानी पहुंच सके। जो हमारा अवेलेबल वाटर है उसका समान बंटवारा होगा चाहे कोई भी इलाका है सारा हरियाणा एक समान है और सारे हरियाणा में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी समुचित तरीके से और समान तरीके से सब को मिलेगा, यह हमारी नीति है और उसके लिए जो भी एप्रोप्रियेट स्टेप्स हैं वे हम उठा रहे हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं। पानी के बंटवारे के बारे में उन्होंने एक नगर बनाने का जिक्र किया है। मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूं कि जहां से नहर शुरू होगी और जहां पर नहर खत्म होगी उसका स्लोप कितना है, क्या यह प्रोजैक्ट वहां तक पानी पहुंचाने में कारगर होगा और इस प्रोजैक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरे में मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो उपलब्ध पानी है उसके बंटवारे की बात सरकार करती है। क्या सरकार की यह मन्शा नहीं है कि एस०वाई०एल० नहर को जल्दी से जल्दी बनवा कर पानी का न्यायोचित बंटवारा किया जाए क्यों कि वास्तव में तो समस्या का हल उसी से होगा। मन्त्री महोदय इसके बारे में बताने का कष्ट करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है वह स्टेट में पानी के वितरण में इम्बैलैंस हुआ है उसके बारे में था। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी बताया गया है कि कोई रीजन की बात नहीं है कोई इलाके की बात नहीं है सरकार पूरे हरियाणा में पानी के समान वितरण की बात कर रही है। पिछले 40 साल से 70% फालतू पानी ये लोग ले रहे हैं जिसके कारण वहां पर सेम की समस्या हो रही है दूसरी तरफ हमारे इलाके में पीने का पानी भी नहीं है। महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के इलाके ऐसे हैं जहां पानी 1400 फुट तक नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, हम जो बात कर रहे हैं वह तो समानता की बात कर रहे हैं जब कि इन लोगों ने असमानता की बात की थी। जहां तक एस०वाई०एल० की बात है, मामला अभी कोर्ट में लम्बित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देगी उसे हम मानेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि दक्षिणी हरियाणा में 15 या 17 दिन पानी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि इससे पहले 2000 से 2005 के बीच जो गवर्नमैंट थी, उस शासनकाल में हमारे हिस्से का पानी किन जिलों में ज्यादा जाता था ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस के बारे में पहले ही जवाब दे चुका हूं।

Construction of over Bridge on Bhiwani-Tosham Road

*** 27. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct a Railway Over Bridge on the Bhiwani-Tosham Road (Railway Crossing) ?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्री मान् जी नहीं। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने ओवर ब्रिज बनाने के बारे में कहा है तो मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि सरकार का वहां पर अभी ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को केवल यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1977 में इस प्रकार का ओवर ब्रिज बनाने के प्रपोजल बनाया गया था लेकिन वह प्रपोजल लागू नहीं हुआ था इसलिए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ने बॉय पास जो भिवानी और तोशाम रोड़ तथा भिवानी और लोहारु रोड़ है वह बनवा दिया था। जो आपका ओवर ब्रिज था उसको शिफ्ट करके जो रेलवे लाईन क्रोसिंग 51-सी जो कि भिवानी टू लोहारु रोड़ पर है उसको भिवानी टू भटिंडा रेलवे लाईन क्रोस करती है। वह 1986-87 में बनकर तैयार हो गई थी। स्पीकर सर, कारण यह है कि अगर जो ओवर ब्रिज माननीय सदस्य बनाने के लिए कह रहे हैं अगर उसको बनाया जाता है तो वहां पर जो अनाथ आश्रम है उसको सारे का सारा गिराना पड़ेगा और उसकी जमीन लेनी पड़ेगी। इसी वजह से यह ओवर ब्रिज न बनाकर के बॉय पास का निर्माण किया गया था और ओवर ब्रिज बनाने का परपोजल सरकार के पास विचारधीन है।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह जो ओवर ब्रिज शिफ्ट किया गया था, उससे वहां की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं आपके सामने एक लैटर पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि एस०सी०पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) ने इंजिनियर इन चीफ को लिखा था और इसका सब्जैक्ट था "ROB in Bhiwani & Tosham Road. D.O. No. 36/CEWB, dated 13-10-2004. No. 3183/NH dated 20-10-2004. इसमें भी एग्जिक्यूटिव इंजिनियर ने जो माना है उसकी वे दो लाईनें मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : भारद्वाज जी, आपके पास यह लैटर कहां से आ गया है। आप उसको क्यों मरवाना चाहते हो।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, उसको मरवाने की बात नहीं है यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है और मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए जरूर कुछ न कुछ करे क्योंकि 1/3 से ज्यादा पापुलेशन वहां पर रहती है और लाईफ सेविंग टाईम उस फाटक पर लोगों का बेस्ट होता है। घंटो घंटो फाटक वहां पर बंद रहता है जिसकी वजह से कई बार गर्भवती महिलाओं की वहीं पर डिलवरी हो जाती है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि हार्ट-अटैक वाले पेशन्ट फाटक बंद होने की वजह से अस्पताल में समय पर न पहुंचने की वजह से वहीं पर जान दे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह ओवर ब्रिज बनाना बहुत ही जरूरी है और सरकार को इसको प्रायरिटी बेस पर बनवाना चाहिए। सर, उस लैटर में जो दो लाईन्ज़ हैं मैं आपके माध्यम से सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। The Executive Engineer, has further brought out, "it is a fact that the Railway Crossing No. 53 on Tosham-Bhiwani road

remains closed for long hours resulting in long ques of vehicles awaiting the crossing of Railway Line." सर, यह उन्होंने अपनी लैटर में माना है कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं लेकिन सरकार के सामने दो रास्ते हैं । उसमें से एक रास्ता है जो अनाथ अबोध बच्चों का आश्रम है, वह सारे का सारा गिरा दिया जाए और उनकी जमीन ले ली जाए। स्पीकर सर, रेलवे अथोरिटी ने जो हमें रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा है कि अगर यह ओवर ब्रिज बनाया जाएगा तो उसके बीच में अनाथ आश्रम आएगा। सरकार ने इस बात को ही देखते हुए यह निर्णय लिया है कि यह जो अनाथ अबोध बच्चों का बहुत ही पुराना आश्रम है इसको रेलवे ब्रिज के लिए गिराना उचित नहीं है। स्पीकर सर, वहां पर बॉय पास की सुविधा है। 51 नम्बर क्रोसिंग पर आल रेड्डी ओवर ब्रिज बना दिया गया है इसलिए यह सम्भव नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि आल रेडी 90 करोड़ 56 रुपए की लागत से कई रेलवे ओवर ब्रिज यहां पर बना रहे हैं और 130 करोड़ रुपए की लागत से कई ओवर ब्रिज बनने विचारधीन हैं तथा इनके एस्टीमेट्स मंजूर हो चुके हैं। और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य जिस विषय में कह रहे हैं यह एक ऐसी मार्मिक समस्या थी इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि यहां पर ओवर ब्रिज न बनाया जाए।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कैथल में नई अनाज मंडी के पास जो रोड जाती है, उस पर बहुत कंजैशन रहती है क्या वहां पर कोई ओवर ब्रिज बनाने की सरकार की योजना है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपए की लागत से नई अनाज मंडी के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की योजना सरकार के पास विचारधीन है। इसकी प्रपोजल 13 दिसम्बर, 2002 को हमने सबमिट की थी। अध्यक्ष महोदय, रेलवे विभाग के पास यह योजना पैण्डिंग है। सरकार का प्रयास रहेगा कि उनसे मंजूरी लेकर इसको जल्दी शुरू करवाएं।

प्रो० छतर पाल सिंह : स्पीकर सर, जब हिसार से दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो There is another Railway Phatak. There is heavy traffic on it. जिंदल साहब की फैक्ट्री के पास वह एरिया पड़ता है। क्या उस एरिया में भविष्य में ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रपोजल सरकार के विचारधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रेलवे ओवर ब्रिज नम्बर 89-बी जो है वह सालरोड़-हिसार की रेलवे लाईन पर है, उसके लिए हमने टैंडर कर दिया है और 30 जून, 2006 तक यह काम पूरा हो जाएगा।

श्री धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ओवर ब्रिज बनाने का क्राइटेरिया क्या है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्ज, अवेलेबिलिटी आफ लैंडज या ट्रैफिक इसका क्राईटेरिया है? सरकार का किस आधार पर ओवर ब्रिज बनाने का क्राइटेरिया है ? जो मेन शहर हैं क्या वहां पर भी रेलवे ओवर ब्रिज बनाएंगे ? जैसे गुड़गांव में दौलताबाद रोड़ के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की बात है तो क्या गुड़गांव में वहां पर उस रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सब प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं यह सप्लीमैंट्री के स्कोप में तो नहीं आते हैं लेकिन इस बारे में जो भी इंफोर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वह मैंने बता दी है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर देंगे तो सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गुड़गांव की प्रगति सरकार की प्राथमिकता में है और हम उस ओवर ब्रिज को भी अवश्य बनाएंगे।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, मैं रेलेवैन्ट क्वैश्चन पर ही आपके माध्यम से अनारेबल मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी भिवानी में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की बात कही गयी थी। यह मान लिया कि वहां पर गरीब अनाथ बच्चों का आश्रम बीच में आता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां पर इसके आल्टरनेट के रूप में सब-वे या अन्डर ब्रिज बनाकर लोगों की समस्या का हल करेगी ताकि वह आश्रम भी वहां कायम रहे और लोगों की जो बहुत बड़ी पीड़ा है उसका भी निवारण हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले दूसरे माननीय सदस्य के सवाल के जबाव में बताया था कि वहां पर दोनों तरफ बिल्डिंग्ज होने की वजह से ऊपर और नीचे की खुदाई करना संभव नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पर लोगों के मकानों और उस अनाथ आश्रम को भारी क्षति पहुंचेगी। फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको हम टैक्नीकली ऐग्जामिन करवा लेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार की सारी फार्मेलिटीज पूरी होने के बाद सिरसा और डबवाली में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए शिलान्यास किये गये थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनका काम कब शुरू होगा। और कब तक यह पूरा हो जाएगा यानी इस बारे में जो स्थिति है उसको कृपया मंत्री जी जरा विस्तार से बताएं ?

श्री रणदीप सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने डबवाली में ओवर ब्रिज बनाने की चर्चा की और कहा कि वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का शिलान्यास किया गया था। सर, हमने एक मार्च, 2005 को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट को पैसा जमा करवाया है। यदि मेरे पास इस बारे में फिगर्ज सही हैं तो इसका ऐस्टीमेट एक करोड़ रुपये के करीब है। बाकी की जो तफसील ये जानना चाहते हैं उसके बारे में ये लिखकर भेज दें, मैं उसका जबाव दे दूंगा।

Opening of Hundred Bed Government Hospital in Village Bass

***23.Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Minister of Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open hundred bed Govt. Hospital in village Bass in Narnaund Constituency ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) : जी नहीं। स्पीकर साहब इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार का बास गांव में 100 बैड्स होस्पीटल बनाने का

कोई इरादा नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी हुई है। इस नीति के हिसाब से तीस हजार की आबादी पर पी०एच०सी० और एक लाख बीस हजार की आबादी पर सी०एच०सी० एवं इसके आगे दूसरे होस्पीटल्ज बनाये जाते हैं। स्पीकर सर, वहां एक पी०एच०सी० काम कर रही है जिसके अंदर आठ सब सैंटर्ज पड़ते हैं जिनकी टोटल आबादी चालीस हजार के करीब है इसलिए इस पी०एच०सी० की तो इम्प्रुवमैंट हो सकती है लेकिन अलग से 100 बैड्ज का होस्पीटल बांस गांव में बनाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, बास गांव हरियाणा के दस बड़े गांवों में से एक है। यह मेरी कांस्टीच्यूएंसी का भी सबसे बड़ा गांव है। आसपास के कम से कम 15 गांव ऐसे हैं जहां एम०बी०बी०एस० डाक्टर्ज नहीं हैं। खुद बास गांव में कोई एम०बी०बी०एस० डाक्टर नहीं है। लोगों ने मेहनत करके दस लाख, पन्द्रह लाख रुपये इकट्ठे किए हैं। वहां के लोग चौटाला साहब के पहले ज्यादा गीत गाते थे, उनके पास गए थे कि आप बनाओ चौटाला साहब ने वहां पर एक फोटो तो चौधरी देवीलाल की वहां लगा दी लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया। मेरी मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि वहां बहुत ही सख्त जरूरत है इसलिए वहां सौ बैड का अस्पताल जरूर बनाया जाए।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वहां पर आठ सब सैन्टरों को मिलाकर लगभग 42 हजार के करीब की ही आबादी बनती है इसलिए वहां पी०एच०सी० का स्कोप है और वह आलरेडी वहां है यह बात अलग है कि वह प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। पीछे एक बिल्डिंग बनी है वह साढ़े पांच फुट नीचे है इसलिए वह टेकओवर नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं वे दूर नहीं हुई हैं। यह मैंने बताया है कि इसमें इम्प्रूवमैंट की गुंजाइश है कि वहां पर पी०एच०सी० की नई बिल्डिंग बना दी जाए। जहां तक डाक्टरों का सवाल है उस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस समय सारे हरियाणा के लिए करीब 160 डॉक्टरों की वहां कमी है लेकिन फिर भी वहां की जरूरत को देखते हुए एक डॉक्टर और दूसरा स्टाफ वहां पर है और भी जल्दी से जल्दी वहां स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे और लोगों को सुविधायें मिले इसका पूरा प्रबंध किया जाएगा लेकिन 100 बैडिड अस्पताल बनाने का कोई विचार नहीं है।

श्री खरैती लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 40 हजार या 42 हजार की आबादी पर पी०एच०सी० बनाई जाती है। मेरे हल्के में ठोल गांव है, उसकी और उसके आसपास की आबादी 42 हजार से ज्यादा बनती है। वहां गांव वालों ने पी०एच०सी० के लिए बिल्डिंग बनाकर दी है और बहुत रिक्वैस्ट की है कि उसको सरकार टेकओवर कर ले और वहां पर डॉक्टरों का इंतजाम किया जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कोई ऐसा प्रावधान करेगी कि वहां पर डॉक्टर्स और दवाइयों का इंतजाम हो सके।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सप्लीमैंट्री इस मेन सवाल में कवर नहीं होती। वहां पर डॉक्टर्स भेजे जाने के लिए माननीय सदस्य द्वारा और वहां के लोगों द्वारा भी लिखकर दिया गया। इसको हम ऐग्जामिन करा रहे हैं यदि बिल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से सही हुई और नई जनगणना के हिसाब से सरकार ने जो नयी पी०एच०सी० बनानी है, उसमें हम ठोल को शामिल कर सकते हैं।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में चाहे पी०जी०आई० रोहतक है और चाहे दूसरे जिलों के जो अस्पताल हैं उनमें स्टाफ का जो रिक्वायर्ड वर्कलोड है। क्या वह पूरा है और यदि नहीं है तो कब तक पूरा कर देंगे। इसके अलावा यदि किसी अस्पताल में स्टाफ है तो इक्विपमैंट्स नहीं हैं और इक्विपमैंट्स हैं तो स्टाफ नहीं है। Equipments are not functioning due to the shortage of the staff. क्या मंत्री महोदया के पास पूरे स्टाफ का विवरण है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्टाफ की और इक्विपमैंट्स की पोस्टिंग को बैलैंस करने का निकट भविष्य में कोई विचार है।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, वैसे तो हॉस्पीटलवाइज विवरण मेरे पास नहीं है। लेकिन यह सही है कि हम अब की बार स्थानांतरण जो करेंगे उसमें स्पैशियैलिटी के हिसाब से सी०एच०सी० लैवल पर दो डॉक्टरों को पोस्ट करेंगे। जहां ऑपरेशन थियेटर होगा वहां सर्जन को पोस्ट करेंगे और जहां एक्सरे मशीन होगी वहां रेडियोग्राफर की पोस्टिंग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सुविधा जहां होगी उसके मुताबिक स्टाफ भी होगा। यह मैं पहले ही स्वीकार कर चुकी हूं कि डॉक्टरों और पैरा मेडीकल स्टाफ की कमी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस कमी को आने वाले 2-4 महीनों में पूरा करेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कैथल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर है और वहां पर दूर दूर तक कोई मेडीकल फैसिलिटीज नहीं है। वर्तमान में कैथल अस्पताल की जो बिल्डिंग है वह काफी पुरानी है और खराब कंडीशन में है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई तजवीज कैथल में नये अस्पताल की मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की है। हुडडा ने सैक्टर 18 कैथल में 15 एकड़ जमीन इसके लिए रिजर्व कर दी है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि कैथल और उसके आसपास के पूरे इलाके का ख्याल रखते हुए क्या वहां पर कोई सुपर स्पैशियैलिटी अस्पताल बनाने का सरकार का कोई विचार है ?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, कैथल में इस समय 100 बैड का हॉस्पिटल है। यह ठीक है कि उस अस्पताल की बिल्डिंग खराब अवस्था में है। इस बारे में माननीय सदस्य के साथ हम बैठकर मीटिंग कर चुके हैं। नये बजट में नई बिल्डिंग बनाने का प्रावधान किया गया है। यहां पर ही नहीं और भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरज पर अस्पतालों की नई बिल्डिंग बनाने का विचार है। रेवाड़ी और झज्जर जिला हैडक्वार्टर पर भी 100 बैड का अस्पताल बनाने का नये बजट में प्रावधान करेगें।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 में मेरे हल्के के गांव ढिगावा में पी०एच०सी० बनाने का प्रोपोजल हैल्थ विभाग की तरफ से गया था कि अगर पंचायत पी०एच०सी० के लिए जमीन दे दे तो वहां पर पी०एच०सी० खोल दी जायेगी। पंचायत ने इस बारे में रेजोल्यूशन पास करके जमीन भी दे दी है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या वहां पर पी०एच०सी० खोलने पर सरकार कोई विचार करेगी ?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नये बजट में 200 के करीब पी०एच०सी० खोलने पर सरकार विचार कर रही है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर हो चुकी है तो नये नार्मस के हिसाब से हम वहां पर पी०एच०सी० खोलने के मामले को कंसीडर कर लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 500 घरों की बस्ती में जहां एक हजार या दो हजार लोग रहते हैं वहां पर उनको 25 किलोमीटर तक कोई मैडिकल सुविधा प्राप्त नहीं है। क्या मन्त्री महोदया उनके लिए कोई मैडिकल सुविधा देने बारे विचार करेगी ?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रूरल हैल्थ मिशन के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में हमारा स्टेट तो नहीं आता लेकिन फिर भी हम इस भावना को देखते हुए हम नई योजना शुरू करने जा रहे हैं इस नई योजना के तहत मोबाईल हैल्थ युनिटें बनाई जायेंगी जिसके तहत ऐसे गांव के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएंगी।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा रेवैन्यू देता है क्या उसके बारे में भी सरकार द्वारा कुछ सोचा जा रहा है।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, गुड़गांव में इस समय 120 बैड का अस्पताल है। माण्ढी में 50 बैड का, सोहना में 30 बैड का और हेली मण्डी में 25 बैड का अस्पताल है। इस समय पूरे हरियाणा की जानकारी तो मैं नहीं दे सकती । माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दे दें इनको जवाब दे दिया जायेगा।

Opening of a College at Bhondsi Damdama

***46. Shri Sukhbir Singh (Sohana) :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a college at Bhondsi Damdama and Badshahpur being no college in that area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि भौंडसी गांव की 100 एकड़ लैंड बी०एस०एफ० को, 450 एकड़ लैंड हरियाणा पुलिस को, 90 एकड़ लैंड जेल के लिए और 406 एकड़ लैंड सी०आर०पी०एफ० को सरकार ने एक्वायर करके दे रखी है। भौंडसी और बादशाहपुर दोनों गांवों की वोटर संख्या 10-10 हजार के करीब है और टोटल जनसंख्या 30 हजार के करीब है। इन गांवों की इतनी ज्यादा जमीन एक्वायर की हुई है। लेकिन आस पास के गांव में कोई सरकारी कालेज नहीं है इस लिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां सरकारी कालेज खोला जाए।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि भौंडसी, दमदमा और बादशाहपुर तीनों ही गुड़गांव जिले के भाग हैं। गुड़गांव जिले में 10 कॉलेजिज हैं जिसमें 7 सरकारी, 2 गैर सरकारी और एक निजी महाविद्यालय है। भौंडसी जहां

[श्री फूलचन्द मुलाना]

का माननीय साथी ने जिक्र किया है गुड़गांव जिले के बिल्कुल साथ लगता है इसलिए 10 कॉलेजिज में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। जहां तक इन्होंने जिक्र किया कि जमीन किसी और काम के लिए ली गई है तो उसका कॉलेज से कोई सम्बन्ध नहीं है, । कॉलेज में बहुत सी सुविधाएं हैं। हमारी सरकार आज के युग में शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है। साथ ही यह सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। जिसके तहत जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज ज्यादा शुरू करने जा रही है। इसलिए अगर माननीय साथी को किसी भी कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आए तो मुझे बता दें।

Leasing of Mines Minerals

*19. **Shri Naresh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lease out the mines minerals of district Mahindergarh to the societies of the unemployed youth of the said area?

परिवहन मंत्री (रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है जबकि जवाब तो मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से जानना चाहता था लेकिन वे यहां मौजूद नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली बार हाउस में बड़े जोर शोर से आवाज उठी थी कि खनिज हरियाणा में एक ही आदमी के पास हैं और आज भी उन्हीं लोगों के पास हैं। खनिजों पर, पहाड़ों पर, रेत पर और बजरी पर ये बैरियर, टोल टैक्स लगा कर बैठे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि नई सरकार बनेगी तो कुछ सुधार होगा लेकिन हमने देखा कि बजरी, रोड़ी आदि के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं। हमारा जिला शुरवीरों का जिला है।

Mr. Speaker : Naresh Yadav Ji, please put the supplementary.Don't deliver the speech. You will get enough time for the speech.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जितने खनिज हमारे जिले में हैं, हमारे साउथ हरियाणा में जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां हैं जहां से बजरी और पत्थर निकलता है, उसके लिए बेरोजगार युवकों की कमेटी बनाकर उनको ठेके दिये जाएं न कि सेठ साहुकारों को दिये जाएं जैसा कि पिछली सरकार में दिया जाता था।

Mr. Speaker : Mr. Yadav, you are suggesting the thing. Please put the question. This is not the way. Don't deliver the speech.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या नई सरकार ऐसा कोई प्रावधान कर रही है कि जिसके तहत हमारे इलाके के जितने पहाड़, नदियां या खानें हैं उनके ठेके हमारे इलाके के बेरोजगार युवकों को ही मिलें। हमारे इलाके के एरियाज में अभी तक नहरी पानी भी पूरा नहीं पहुंचा है जिसकी वजह से वहां पर काफी लोग बेरोजगार हैं।

Mr. Speaker : Mr. Yadav, you are delivering the speech. Please put the supplementary.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंटरी यही है कि क्या सरकार हमारे इलाके के पहाड़ों, नदियों और खानों के ठेके हमारे इलाके के बेरोजगार युवकों को देने का कोई प्रावधान करने जा रही है या नहीं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 2 तरह के मिनर्लज हैं एक मेजर मिनर्लज और दूसरे माइनर मिनर्लज। मेजर मिनर्लज हमारे यहां दो प्रकार हैं एक सिलिका सैण्ड और दूसरे स्कूल स्लेट। इनकी इस समय 2 माईन्ज चल रही हैं बाकी सारी माईन्ज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बन्द कर दी गई हैं। 2 माईन्ज एक फरीदाबाद में है और एक महेन्द्रगढ़ में है। माईन्ज आफ मिनर्लज एक्ट जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है उसके अन्दर इनको देने की प्रक्रिया है। इस एक्ट के तहत प्रोसपैक्टिंग का लाइसैंस लेना पड़ता है और जिसको प्रोसपैक्टिंग का लाइसैंस मिलेगा अगर उसको वहां मेजर मिनर्लज मिल जाएगा तो फिर उसको उस खनिज पदार्थ की माइन को लेने का प्रफैरैंशियल राइट हो जाता है। अगर कोई भी सोसायटी चाहे वे बेरोजगार युवकों की हों या फिर कोई दूसरी हो वह इस प्रकार के लाइसैंस के लिए भारत सरकार को एप्लाई करेगी तो मुझे विश्वास है कि वे भारत सरकार अवश्य ही इस पर विचार करेगी। जहां तक माईनर मिनरलज के बारे में हमारे सदस्य ने चर्चा की है उसके लिए हमारी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है और वह नीति है साल दर साल ऑक्शन की। इस सरकार के बनने के बाद मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केवल दो माईन्ज समय पूरा होने के बाद ऑक्शन के लिए आई थी। एक का समय दस महीने का है और दूसरी का समय 27-5-2005 से 31-3-2008 तक है, तकरीबन तीन साल के लिए है। पंचकुला की पिछली सरकार के समय में जो ऑक्शन 9.50 करोड़ रुपये की हुई थी वही अब उसकी ऑक्शन 35 करोड़ 41 लाख 6 हजार रुपये में की है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक बढ़ोतरी हमारी सरकार ने की है। दूसरी माईन स्टोन क्यूरी फरीदाबाद थी जिसकी ऑक्शन पिछली सरकार के समय में 2.50 करोड़ रुपये की गई थी और अब हमने उसकी ऑक्शन 5.50 करोड़ रुपये में की है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है और हमारी सरकार ने माईन्ज पब्लिक ऑक्शन में देने का फैसला किया है। आप यह विश्वास रखिये कि जो माईन्ज हैं वे ऑक्शन के द्वारा पूरे पारदर्शी तरीके से दी जायेंगी। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चाहे सोसायटी हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो हर व्यक्ति बोली लगाकर माईन लेने के लिए स्वतंत्र है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में कुछ लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से माईन्ज लीज पर दी गई थी। इस बारे में पहले भी काफी बहस हुई है। क्या मौजूदा सरकार पिछली सरकार के समय में जो गलत तरीके से लीज दी गई है उन पर पुनर्विचार करके उनकी इन्क्वायरी करवाने के बाद उन लीजों का आवंटन ठीक ढंग से करायेगी या नहीं इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि वहां जो नाजायज टैक्स लिया जाता था क्या उसको रोका जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का ईशारा शायद उस विशेष प्रकार के टैक्स की तरफ है जो पिछली सरकार के समय में भिवानी जिले और दूसरे क्षेत्रों में वसूला

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट और स्टिक निर्णय लिया है कि किसी प्रकार का गलत टैक्स अब हरियाणा में वसूला नहीं जायेगा। इसके साथ-साथ मैं पूरे सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि जिस किसी विशेष माईन की शिकायत तथ्यों के साथ कोई भी साथी देगा जो गलत तरीके से दी गई हो उसकी जांच कराई जायेगी और दोषियों को सजा दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा अमर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माईन्ज से जो लोग बजरी निकालते हैं वे बजरी के साथ-साथ पेड़ों को भी काटते हैं। क्या उन लोगों को पेड़ काटने की इजाजत सरकार की तरफ से दी हुई है ? यदि नहीं दी गई तो क्या उन लोगों को पेड़ काटने से रोका जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पेड़ों को काटने की इजाजत किसी व्यक्ति को नहीं है। जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है अगर उसके बारे में कोई भी साथी तथ्यों के साथ शिकायत करेगा तो उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Computer Education

***57. Shri Sher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government is formulating any scheme to impart computer education on its own expenditure or charging the minimum fee so that the poor students could also take benefit therefrom ?

शिक्षा मंत्री (फूल चन्द मुलाना) : इस समय कुछ राजकीय महाविद्यालयों में बी०एस०सी० तथा बी०काम० स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। कुछ राजकीय महाविद्यालयों में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी छात्रों को पूर्णत: ऐच्छिक आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके लिये सेवा प्रदाताओं को शुल्क अदा किया जाता है।

राजकीय विद्यालयों में भी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है जहां छात्रों द्वारा सेवा प्रदाताओं को निर्धारित शुल्क की अदायगी की जाती है। वर्तमान वर्ष 2005-06 के लिये सरकार लगभग 100 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिये एक स्कीम तैयार कर रही है जहां छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क/प्रभार वसूल नहीं किया जायेगा। यह स्कीम लागू करने से पहले भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

Reduction in Yield of Wheat

*2. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state---

(a) whether any reduction/decline in the per acre yield of wheat in the State has been reported during Rabi 2004-2005 due to adverse weather condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the state Government to provide compensation to the farmers for the loss in the yield of wheat?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, महोदय।

(ख) रबी 2004-05 के दौरान ओलावृष्टि के कारण हुई हानि का मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका है।

Anaj Mandies in the State

*8. **Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Anaj Mandies in the State registered with the Haryana State Agricultural Marketing Board as for Rabi Crops 2005; and

(b) the number of Anaj Mandies out of those referred to in part (a) above, do not have the proper facilities of sheds, flooring, drinking water and lighting, togetherwith the steps proposed to be taken to improve these Anaj Mandies?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 105 मुख्य यार्ड व 70 उप यार्ड अधिसूचित हैं तथा 173 खरीद केन्द्र रबी फसल 2005 में खोले गए।

(ख) रबी 2005 में सभी मंडियों में पीने का पानी तथा रोशनी (लाईट) की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधाएं खरीद केन्द्रों में रबी 2005 में भी प्रदान की गई हैं।

शैडों व फर्श की सुविधा क्रमश: 78 व 4 अनाज मंडियों में उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं को कृषि उपज की मंडियों में आवक और भूमि फण्ड्स की उपलब्धता के आधार पर प्रदान करने के चरणबद्ध पग उठाए जा रहे हैं।

Drainage System in Bhiwani City

***28. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the drainage system of Bhiwani City is improper because of which many colonies sub-merge even due to slight rain; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the drainage system of the aforesaid City?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)

(क) श्रीमान जी, उचित निकास प्रणाली भिवानी शहर के केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र में प्रदान की गई है, परिणाम स्वरूप वर्षा के समय निचाई में स्थित क्षेत्रों में कुछ समय के लिये पानी भर जाता है।

(ख) वर्ष 2004-2005 में, शहर के निचाई में स्थित क्षेत्रों से निकास प्रणाली की बढ़ोतरी हेतु 155.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

Opening of Treasury at Narnaund

***24. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Treasury at Narnaund City, District Hisar?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : नारनौंद जिला हिसार में पहले से ही दिनांक 13-10-1997 से उप-खजाना कार्य कर रहा है।

Opening of Sainik School and Recruitment Office at Gurgaon

***47. Shri Sukhbir Singh Sohana :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reopen the Sainik recruitment office in Gurgaon closed down in the year 1996; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sainik School at Gurgaon ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Setting up of University, Mohindergarh

***20. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an University in district Mohindergarh?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान् जी।

Reclassification of Cities

***58. Shri Sher Singh :** Will the Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that the Central Government has reclassified the cities on the basis of the census of 2001; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of Haryana Government to reclassify the cities of the State on the census of 2001, togetherwith the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां,

(ख) नहीं। राज्य सरकार शहरों का वर्गीकरण करने बारे केन्द्रीय पद्धति का अनुकरण नहीं करती।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads in District Sonepat

***1. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the name of the roads in Sonepat District which have been metalled during the year 2004; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct metalled roads in the aforesaid district during the year 2005-2006; if so, details there of ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जिला सोनीपत में वर्ष 2004-05 के दौरान निम्नलिखित सड़कों को पक्का किया गया है :—

(i) लोक निर्माण (भवन व सड़क) शाखा द्वारा—

1. रिदाना से धड़वाल
2. भाबड़ से मेहराड़ा
3. माहरा से रभड़ा
4. राठधना से लिवान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ii) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा—

1. खेड़ी मनाजाट से मुनीरपुर
2. मेहदीपुर से बख्तावरपुर
3. मुरथल से मुकीमपुर
4. जगदीशपुर से जठेड़ी
5. राठधना से बहालगढ़ सड़क
6. खेबड़ा से औरंगाबाद
7. जुआं से शमशानघाट
8. जाटी खुर्द से ताजपुर
9. शाहपुर तगा से सनपेड़ा
10. तेवड़ी से सरढाना
11. बलीकुतबपुर से पुगथला
12. हसनपुर से मुरथल
13. नयाबांस से सरदाना
14. कुराड़ इबराहिमपुर से शुगरमिल
15. हसनपुर से धतुरी
16. बड़ी से पिपली खेड़ा
17. खुबड़ु से भावर
18. सरगथल से रेस्टहाउस
19. विलविलान स्कूल से गोहाना खरखौदा सड़क
20. आंबली से रिठाल
21. हुडा वाला से सरफाबाद
22. छतैरा से मातण्ड

(ख) जिला सोनीपत में वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित सड़कों को पक्का करने का प्रस्ताव है।

(i) लोक निर्माण (भवन व सड़क) शाखा द्वारा (विवरण संलग्न)

1. नाहरी से मल्लाह भाजरा

(ii) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा (विवरण संलग्न)

1. सिलाना से चौलका
2. सफियाबाद से नाहरी

3. राठधना से बहालगढ़ सड़क
4. जैनपुर से बख्तावरपुर
5. जाटी खुर्द से ताजपुर
6. खेवड़ा से दिपालपुर
7. गुमड़ से गदी झजारा
8. लड़सौली से राजपुर
9. खरखौदा सड़क से बरौटा बस अड्डा
10. हुड्डावाला से सरफाबाद
11. मिरजापुर खेड़ी से सांघी
12. कथुरा से छिछराना

Opening of Vocational Institute at Village Fetehpur Biloch

2. **Miss Sharda Rathore :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that sanction for the opening of Vocational Institute at Village Fetehpur Biloch in Ballabgarh Constituency has been accorded by the Government; if so, the present position thereof; and

(b) if the reply to part (a) above be in negative whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Vocational Institute in the aforesaid village?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना) :

(ए) गांव फतेहपुर बिलोच में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(बी) गांव फतेहपुर बिलोच में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार के पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

Taking Over the Control of Agra Canal

3. **Miss Sharda Rathore :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the control of the Head works of Agra Canal; and

[Miss Sharda Rathore]

(b) if the reply to part (a) above is in negative whether there is any proposal to construct a separate channel from Okhala Head Works alongwith Agra Canal to take up the share of water of Haryana State ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी नहीं, महोदया।

(ख) जी नहीं, महोदया।

Construction of Sports Complex

4. **Miss Sharda Rathore :** Will the Chief Minister be pleased to state—

whether it is a fact that the sanction for the construction of sports complex in village Ucha in Ballabhgarh Constituency has been accorded by the Government, if so, details thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी

Number of Unapproved Colonies

5. **Miss Sharda Rathore :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of un-approved colonies developed in the surrounding of Ballabgarh during last ten years;

(b) the number of colonies out of those referred to in part(a) above which have been approved during last ten years;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to approve the remaining un-approved colonies;

(d) whether it is a fact that some colonies referred to in part (a) above have been approved partially; if so, the names thereof alongwith the reason of partial approval of such colonies ; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide civic amenities to the newly approved colonies ?

उद्योग मन्त्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) : श्री मान् जी,

(क) 1996 से बल्लभगढ़ के चारों और 22 अनाधिकृत कालोनियां विकसित हुई हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) में सन्दर्भित 22 कालोनियां में से किसी भी कालोनी को स्वीकृत नहीं किया गया।

(ग) इस समय सरकार के पास इन कालोनियां को स्वीकृत करने बारे कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) बल्लभगढ़ के चारों और विकसित अधिकतर अनाधिकृत कालोनियां पहले से ही स्वीकृत कालोनियों का विस्तार है। 1994 तथा 1995 में स्वीकृत की गई 21 कलोनियों के नाम संलग्न सूचि में दिये गये हैं। स्वीकृति के पश्चात जो विस्तार हुआ हैं, वे अनाधिकृत कालोनियां हैं।

(ङ) सरकार की वर्तमान नीति अनुसार स्वीकृत कालोनियों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

30-6-94 को नियमित की गई कालोनियां :—

1. बावला कलोनी, एक्सटेन्शन
2. लक्ष्मण कालोनी
3. शिव कालोनी एक्सटेन्शन
4. अजी कालोनी
5. फ्रेण्डज कालोनी
6. महाबीर कालोनी एक्सटेन्शन
7. राजा नाहर सिंह कालोनी
8. विजय नगर
9. बिल्लू सैनी नगर
10. आर्य नगर
11. भाटिया कालोनी एक्सटेन्शन
12. यादव कालोनी
13. दौलत कालोनी

21-12-1995 को नियमित की गई कालोनियां :—

1. कुन्दन कालोनी
2. राव कालोनी एक्सटेन्शन
3. भूदत कालोनी
4. मिथम कालोनी
5. नाबलू कालोनी
6. संजय कालोनी
7. भगत सिंह कालोनी
8. मर्ग कालोनी एक्सटेन्शन

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :—

1. Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA,
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA,
3. Shri Balbir Pal Shah, MLA,
4. Shri Balwant Singh Sadhaura MLA,

(ii) सदस्य द्वारा त्याग पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that under Rule 58 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that Shri Siri Kishan Hooda, MLA has resigned from his seat in the Haryana Legilative Assembly No. 29-Kiloi Assembly Constituency his letter dated 5th April, 2005 which was accepted by me from the said date.

(iii) अनुपस्थिति की सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an application dated nil from Shri Om Parkash Chautala, MLA which is as under :—

"Dear Sir,

I am to inform you that due to my illness, I am unable to attend the ensuing Session of Haryana Vidhan Sabha.

Yours sincerely,

Sd/-
(Om Parkash Chautala)"

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आपकी और हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो सदन की मर्यादाएं हैं और जो नियम हैं उन सब को मानना चाहिए। माननीय सदस्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो ऐप्लिकेशन आपको भेजी हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह एप्लीकेशन किस रूल के तहत भेजी है और उसकी क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है, But I have to inform the House, Please take your seat. (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौटाला साहब अगर कहीं हमारी आवाज सुन रहे हों तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि उन्हें हाउस में आना चाहिए। हमने वह चौटाला देखा था जो रावण जैसा अहंकार से भरा हुआ था और आदमी को आदमी नहीं समझता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please do not disturb. I have not allowed anybody to speak. (Interruptions). I have not allowed him.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, प्वांयट ऑफ आर्डर पर प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं होता। ये खुद संसद सदस्य रहे हैं इसलिए इन्हें ये सारी बातें तो पता होनी चाहिएं।

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Shri Om Parkash Chautala, MLA to remain absent during the current Budget Session of Haryana Vidhan Sabha.

Question is—

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried.

(ख) सचिव द्वारा—

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make the announcements.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2005 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं--

1. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2005.
2. The Haryana Appropriation Vote on Account (No. 2) Bill, 2005.
3. The Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill, 2005.

नियम-121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, The Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for the suspension of Rule 30.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 9th June, 2005.

Sir, I also move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

Mr. Speaker : Motion move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business be transacted on 9th June, 2005.

And also—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

Mr. Speaker : Question is—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business be transacted on 9th June, 2005.

And also—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

The motion was carried.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the Time Table of the various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 12.30 P.M. on Thursday, the 9th June, 2005 in the Chamber of Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thusrday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 12.30 P.M. without question being put.

However, on Thursday, the 9th June, 2005, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that on Monday, the 20th June, 2005, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion, further recommends that the business from 9th, 13th to 17th and 20th June, 2005 be transacted by the Sabha as under :—

Thursday, the 9th June, 2005 (2.00 P.M.)	1. Oath/affirmation. 2. Obituary References. 3. Questions Hour 4. Motion under Rule 121 for suspension of Rule 30. 5. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 6. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 7. Presentation of Budget Estimates for the year 2005-2006.
Monday, the 13th June, 2005 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. General Discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006.
Tuesday, the 14th June, 2005 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Papers to be laid, if any. 3. Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006.
Wednesday, the 15th June, 2005 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 2005- 2006 and reply by the Finance Minister thereon.

[Mr. Speaker]

	3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2005-2006.
Thursday, the 16th June, 2005 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 17th June, 2005 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2005-2006.
Monday, the 20th June, 2005 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule-15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*. 4. Legislative Business. 5. Any other Business.

Now, the Parliamentary Affiars Minister, will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

> That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 1 of 2005).

The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 2 of 2005).

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 3 of 2005).

Sir, I beg to re-lay on the Table—

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 45/H.A.9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) second amendment Rules, 2004, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Education Department Notification No. S.O. 22/H.A. 12/1999/S.24/2004, dated the 20th February, 2004, regarding the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education Department Notification No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S.24/2004, dated the 11th August, 2004, regarding the Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 153/H.A.9/1979/Ss. 3 and 8/2004, dated the 1st October, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Third amendment Rules, 2004, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Sir, I beg to lay on the Table—

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-II-05/4737 dated the 23rd May, 2005, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2005, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 38/H.A. 6/2003/S. 60/2005 dated the 26th May, 2005, regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2005, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 37/Const./Art. 320/2004 dated the 14th December, 2004, regarding the Haryana

[Sh. Randeep Singh Surjewala]

Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2004, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 38/Const./Art. 320/2004 dated the 14th December, 2004, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 2004, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 2002-2003, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The 4th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 6th Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 30th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Ltd., for the year 2003-2004, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 36th Annual Report of Haryana Warehousing Corporation for the year 2002-2003, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporations Act, 1962.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2000-2001, as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2001-2002, as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The 29th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited, for the year 2002,2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 30th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited, for the year 2003, 2004, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2005-06.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में वर्ष 2005-06 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

2. प्रारम्भ में, मैं अपने दो सम्मानित सहयोगियों स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिन्दल तथा स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र सिंह के आकस्मिक एवं दु:खद निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करता हूं। इनके निधन से हरियाणावासियों के हृदय में जो रिक्त स्थान पैदा हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करना कठिन है।

3. मैंने 23 मार्च, 2005 को चालू वर्ष के प्रथम तीन मास के सरकार के खर्च को पूरा करने के लिये लेखानुदान की प्राप्ति हेतु एक अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था। अब मैं सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ वर्ष 2005-06 के लिये राज्य सरकार का पूर्ण बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक स्थिति

4. माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1991 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, ने प्रमुख ढांचागत आर्थिक सुधार शुरू किये, जिनको बाद में देश में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी सराहना की गई। परिणामस्वरूप, देश निरन्तर प्रगति करते हुए आर्थिक ताकत और स्थिरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हरियाणा राज्य ने आर्थिक उदारीकरण के लाभों को संचित करके अपने आर्थिक आधार को सुदृढ़ किया है।

5. मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यूपीए सरकार द्वारा मई, 2004 में केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के बाद अपनाये गये नये विकास पथ, जिसमें मानव संसाधन विकास और जन साधारण के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को नई गति मिली। राष्ट्र स्तर के आर्थिक परिदृश्य से राज्य अछूते नहीं रह सकते । माननीय सदस्यों को पहले से ही वितरित **हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण,** जिसमें राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, इस तथ्य का साक्षी है। इसमें दर्शाया गया है कि स्थिर मूल्यों (1993-94) पर हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2002-03 में 36,834 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 39,993 करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि समेत प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 29.6 प्रतिशत रहा, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमश: 27.8 प्रतिशत और 42.6 प्रतिशत रहा। सेवा क्षेत्र के हिस्से में निरन्तर वृद्धि इस बात का सूचक है कि अर्थ-व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

बारहवां वित्तायोग

6. बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों से वर्ष 2005-10 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य अर्थ-व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आयोग के दृष्टिकोण से पता चलता है कि हरियाणा जैसे बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों को जनसंख्या, आय और कर प्रयासों जैसे मापदण्डों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिये पुरस्कृत करने के प्रयास नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय करों के

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

हरियाणा के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है और यह 0.944 प्रतिशत, जैसी कि ग्यारहवें वित्तायोग ने सिफारिश की थी, से बढ़कर 1.075 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, कुल हस्तांतरण में भी हरियाणा के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है और यह 0.967 से बढ़कर 1.064 हो गया है। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आयोग द्वारा अन्य राज्यों के लिये सिफारिश किये गये घाटानुदान तथा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिये उन्नयन अनुदान से वंचित रखा गया है। हमने इस मुद्दे पर अपनी चिन्ता पहले ही व्यक्त कर दी है और भविष्य में भी करते रहेंगे। कि हमें जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला।

7. बारहवें वित्तायोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य को चाहिये कि वह विशिष्ट राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाये ताकि वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर लाया जा सके। आयोग ने राज्यों के लिये दो ऋण राहत योजनाओं की भी सिफारिश की है और इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के निर्माण को आवश्यक पूर्व शर्त बनाया गया है। वर्ष 2005-10 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान दोनों योजनाओं के अन्तर्गत हरियाणा को देय कुल वित्तीय लाभों की राशि 1029.70 करोड़ रुपये बनती है।

वार्षिक योजना 2005-06

8. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय इस गरिमामय सदन को सूचित किया था कि पिछली सरकार ने राज्य के बहुमुखी विकास के लिये व्यापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। हमें संसाधनों में वृद्धि और धन का पुन: आबंटन करने के लिये कठोर परिश्रम करना पड़ा ताकि हम भविष्य में संतुलित विकास की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम हो सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ा कि हमारी प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं की पूर्णत: पूर्ति हो। हमने समानता और सामाजिक न्याय के साथ संतुलित विकास की अपनी नीति के अनुरूप वर्ष 2005-06 के लिये 3000 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया है, जो वर्ष 2004-2005 के 2236.72 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है। परिव्यय में यह रिकार्ड वृद्धि है। इस परिव्यय को भारत के योजना आयोग ने 19 मई, 2005 को मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई एक बैठक में पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

9. हमारी सरकार ने सामाजिक सेवाओं और भौतिक आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तदनुसार, सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिये 1352.96 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो योजनागत परिव्यय का 45.10 प्रतिशत है। इसमें समाज कल्याण के लिये 442 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों की पेंशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि इनके प्रति हमारा नैतिक कर्त्तव्य बनता है। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिये 280 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और तकनीकी शिक्षा समेत शिक्षा के लिये 279.66 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 102 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिये 90.89 करोड़ रुपये तथा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिये 26 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

10. आधारभूत संरचना के विकास के लिये 1180.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल योजनागत परिव्यय का 39.34 प्रतिशत है । ऐसा करते समय 449 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करके बिजली के उत्पादन, सम्प्रेषण तथा वितरण को प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई के लिये 393 करोड़ रुपये और सड़कों व सड़क परिवहन के लिये 338.20 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

11. अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि प्रस्तावित निवेश से आर्थिक विकास, गरीबी कम करने तथा मानव कल्याण के कार्यों को पर्याप्त गति मिलेगी।

हमारी प्राथमिकतायें

12. माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि हरियाणा के लोगों ने परिवर्तन, नये नेतृत्व, नई नीतियों और जनसाधारण, जो हमारी सरकार के राजनैतिक दर्शन का केन्द्र बिन्दु है, के कल्याण के लिये मत दिया था। हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम लोगों को स्वच्छ एवं कल्याणकारी शासन प्रदान करके उनमें विश्वास की भावना पैदा करें, जिससे उन्हें भय, आतंक और असुरक्षा से राहत मिलेगी। हमने शासन की बागडोर सम्भालते ही प्रदेश में व्याप्त अराजकता की समस्या का समाधान किया और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि वह राज्य में शांत व सुव्यवस्थित वातावरण कायम करे। हम लोगों में विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं। भय की भावना धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

13. हरियाणा विधानसभा के हाल ही में तीन उप-चुनावों में पार्टी को भारी बहुमत से मिली रिकार्डतोड़ ऐतिहासिक जीत से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हरियाणा के लोगों की हमारी प्रगतिशील नीतियों में गहरी आस्था है।

14. हमारी सरकार गरीब व किसान हितैषी है और हम किसानों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की नीति में विश्वास रखते हैं। हमें शासन की बागडोर संभालते ही भारी वर्षा और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को हुए नुकसान के लिये किसानों को राहत प्रदान करने की समस्या से दो-चार होना पड़ा। ऐसा महसूस किया गया कि फसलों के नुकसान के लिये राहत प्रदान करने के वर्तमान मानदण्ड बिल्कुल अपर्याप्त हैं। परिणामस्वरूप, इनमें गेहूं की फसल के लिये 50 प्रतिशत और अन्य फसलों के लिये 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये तत्काल 54.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। यही नहीं, हमने फरवरी, 2005 में हुए फसली नुकसान के लिये भी किसानों को इसी ऊंची दर से मुआवज़ा प्रदान किया। वर्ष 2005-06 के लिये **आपदा राहत कोष** की वार्षिक राशि में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 124.37 करोड़ रुपये कर दिया गया। हमें आशा है कि यह राशि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी।

15. साथ ही, सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये दिया जाने वाला मुआवज़ा निर्धारित कर दिया गया है, जिसकी न्यूनतम दर गुड़गांव में 15 लाख रुपये प्रति एकड़, पंचकूला तथा चण्डीगढ़ के निकट के क्षेत्रों समेत शेष एन०सी०आर० में 12.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में पांच लाख रुपये प्रति एकड़ होगी। इससे लोगों को न्याय मिलेगा और सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये उचित मुआवज़ा दिये जाने की उनकी मांग भी पूरी हो जायेगी। इस उपाय से किसानों को काफी राहत मिलेगी और विभिन्न

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

न्यायिक अदालतों में मुकदमेबाजी में भी कमी आयेगी, जिस पर किसानों का काफी धन और समय खर्च होता है । यह हमारे चुनावी आश्वासनों में से एक था और मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस वायदे को पूरा कर दिया है।

16. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार समझौते और बातचीत की नीति में विश्वास रखती है। सरकार ने किसानों के बिजली के बकाया बिलों के संवेदनशील मुद्दे के समाधान के लिये मेरी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। हमारी सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त में विश्वास रखती है। ग्राम विकास समितियों जैसी असंवैधानिक संस्थाओं को भंग करके पंचायती राज संस्थाओं जैसी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बहाल की गई है।

17. **सतलुज-यमुना योजक नहर** (एस०वाई०एल०) हमारी सिंचाई नीति का केन्द्र बिन्दु है। सरकार इस नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने तथा नदी जल में राज्य के हिस्से को सुरक्षित रखने के लिये वचनबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के साथ अन्याय न हो। हमारी सरकार पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 की भर्त्सना करती है और सरकार का दृढ़ विश्वास है कि यह हमारे न्यायोचित हिस्से का पानी राज्य में लाये जाने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।

18. राज्य के सभी क्षेत्रों को पानी का समान व न्यायोचित वितरण करना वर्तमान सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है। हमने पानी की कमी वाले हरियाणा के दक्षिणी तथा दक्षिणी-पश्चिमी भागों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने के लिये कदम उठाये हैं। इसके अतिरिक्त, हमने तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण गुड़गांव में हुई पानी की कमी को पूरा करने हेतु गुड़गांव व मानेसर की पेयजल सप्लाई में वृद्धि करने के लिये एक योजना शुरू की है।

19. हमारी सरकार शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये उत्सुक है। हमने शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिये विशेष धनराशि निर्धारित की है। **शहरी नवीकरण मिशन** गठित करने का श्रेय डा० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को जाता है। इस मिशन के तहत देश के कुछेक बड़े शहरों को विशेष सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस परियोजना के प्रथम चरण में ऐसे महानगरों के रूप में फरीदाबाद का चयन किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अम्बाला और रोहतक को भी उन शहरों की सूची में शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री के प्रयासों से अम्बाला को शामिल कर लिया गया है । जिनकी इस कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना विकास के लिये पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान बजट में शहरी आधारभूत संरचना के उन्नयन तथा रख-रखाव के लिये अलग से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कई कई महीनों से म्यूनिसिपल कमेटियों के अन्दर मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दी गई थी और न पैंशन दी गई थी। इस साल अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सारे के सारे एरियर्ज को खत्म कर देंगे।

20. शिक्षा वर्तमान सरकार के लिये प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है लगभग 3 करोड़ रुपया एक स्कूल पर खर्च होगा जो उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिये एक उत्प्रेरक का काम करेगा। जैसाकि माननीय सदस्यों

ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि प्रस्तावित **राजीव गांधी एजुकेशन सिटी** जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म वस्तु निर्माण प्रौद्योगिकी (नैनो टैक्नोलोजी) और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करके हरियाणावासियों के लिये श्रेष्ठ शिक्षा के एक केन्द्र के रूप में कार्य करेगी और यह शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित होगी। अच्छी शिक्षा हमारे छात्रों को बेहतर नौकरियों के लिये प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनायेगी।

21. हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी रोज़गार सृजन योजनाओं को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं ताकि राज्य के युवकों को लाभदायक रोज़गार उपलब्ध हो सके। सस्ती दर पर ऋण देने की योजनाओं के साथ-साथ कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में मज़दूरी आधारित तथा स्व: रोज़गार के अवसरों की तलाश की जा रही है। सरकार विदेशों में रोज़गार से सम्बन्धित सूचना तथा सहायता प्रदान करने बारे निर्णय लेने के लिये एक **विदेशीय रोज़गार ब्यूरो** तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करेगी इस समिति को प्लेसमैंट करने का और बच्चों को बाहर भेजने का तथा उन्हें सुविधा देने का पूरा अधिकार होगा। बेरोज़गारी भत्ते के लिये पात्रता मानदण्डों को भी तर्कसंगत बनाया जायेगा 100 रुपये का भत्ता पिछली सरकार ने किया था उस समय हमने कहा था कि 100 रुपये का भत्ता पढ़े लिखे नौजवानों को देना उनके साथ मजाक है और भत्ते में समुचित वृद्धि की जायेगी ताकि जरूरतमंदों को कुछ ठोस आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इसमें कोई मजाक नहीं है।

22. तीव्र और बेहतर सड़क संयोजन हमारी सरकार की प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। राज्यीय सड़कों पर यातायात का भार कम करने के लिये निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर **कुण्डली-मानेसर-पलवल सुपर एक्सप्रैस हाईवे** का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। इसी प्रकार, हमने एन०सी०आर० में राष्ट्रीय राजधानी के साथ बेहतर संयोजन उपलब्ध करवाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली-मैट्रो रेलवे का गुड़गांव, कुण्डली, बहादुरगढ़ तथा फरीदाबाद तक विस्तार किया जाये। ताकि आगे फिरोजपुर झिरका तक पहुंच जाये।

16.00 बजे 23. हमें प्रदेश में कम हो रहे लिंगानुपात पर गहरी चिन्ता है। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिये पूर्व **प्रजनन निदान तकनीक (पी०एन०डी०टी०) अधिनियम,** 1994 में समुचित संशोधन किया गया है। तथापि, मात्र अधिनियम में संशोधन किये जाने से इस सामाजिक बुराई का पूर्णत: उन्मूलन नहीं हो पायेगा। इसलिये, ग़ैर सरकारी संगठनों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा लोगों के सक्रिय सहयोग से लिंगानुपात संतुलन बारे जागरूकता पैदा करने के लिये एक शाश्वत अभियान शुरू किये जाने की आवश्यकता है। लोगों में लिंग संवेदनशीलता पैदा करने के लिये दूसरी लड़की पैदा होने पर माता-पिता को पांच वर्ष के लिये 5000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता देने तथा जिस परिवार में एकमात्र संतान लड़की हो, उसे पेंशन देने जैसी प्रोत्सान आधारित विभिन्न योजनायें शुरू करने का प्रस्ताव है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और दूसरे साथियों से बात हुई है। हम यह भी चाहते हैं कि हमारी इन योजनाओं का जो सही रूप से अनुकरण करेगा तो उन कन्याओं को भविष्य में रिजर्वेशन देने का भी विचार है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 33 प्रतिशत महिलाओं की रिजर्वेशन स्कूल अध्यापकों में सुनिश्चित की है। यह कदम उठाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। मुझे विश्वास है कि हम इन प्रयासों से लड़की को समाज में उसका उचित स्थान दिलवाने में कामयाब होंगे ताकि लड़की परिवार के लिये निधि समझी जा सके।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

24. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा की महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से जींद में एक नया राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अन्य कदम उठाते हुए **महिला सहकारी विकास बैंक** स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रबन्धन और संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जायेगा। समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक नई योजनायें शुरू की गई हैं, जिनमें कुर्सी बुनकरों के रूप में कार्यरत नेत्रहीन व्यक्तियों का मासिक अनुरक्षण भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 5100 रुपये की बजाय स्कीम 15,000 रुपये की राशि देने की योजना शुरू की गई है, जिसे **इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना** कहा जायेगा।

25. हमारा प्रयास होगा कि कृषि क्षेत्र को पुनर्गठित कृषि आधारभूत संरचना, फसलों के विविधिकरण, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग, बेहतर अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तथा कृषि उपज के लिये सुनिश्चित विपणन सहायता के द्वारा और ज्यादा लाभदायक बनाया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की समस्या पर अंकुश लगेगा। केन्द्र की यू०पी०ए० सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार आने वाले वर्षों में कृषि ऋणों में पर्याप्त वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। हम किसानों के लाभार्थ इस दायित्व का निर्वाह करने के प्रयास करेंगे।

26. कर्मचारियों का कल्याण भी वर्तमान सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है। कर्मचारियों की शिकायतों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है। कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिये भवन निर्माण ऋण, विवाह ऋण तथा वाहन खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

27. राज्य सरकार अपने स्वतन्त्रता सेनानियों को भी सर्वाधिक सम्मान देती है, जिन्होंने हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिये अपने वर्तमान का बलिदान दे दिया । हमने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन 1400 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमास कर दी है।

28. राजकोषीय अनुशासन तथा अनुत्पादक खर्च पर अंकुश लगाना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हमने शासन की बागडोर सम्भालने के तुरन्त बाद राज्य के ऋण भार का संज्ञान लिया और वित्तीय विवेकशीलता के लिये भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे हमें विशेष प्रोत्साहन के रूप में 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली इसके अतिरिक्त, हमारे राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लाने के लिये विधानसभा के इसी सत्र में एक **राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधेयक** लाया जा रहा है। यह कानून भविष्य में राज्य सरकार को घाटे व ऋण भार में कमी करने का मार्ग अपनाने के लिये प्रतिबद्ध करने के अतिरिक्त एक विवेकशील राजकोषीय नीति के निर्माण में नीति निर्धारकों का

मार्गदर्शन भी करेगा। इस कानून से राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋणों के पुनर्निर्धारण की वजह से बकाया ऋणों पर कम ब्याज दर के रूप में भारी राहत मिलेगी। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

29. अपने राजस्व आधार में बढ़ोतरी करना, स्थापना खर्च पर अंकुश लगाना और उधार को केवल वित्तीय पूंजीगत खर्च तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों में निवेश तक सीमित रखना, हमारी सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। हमने प्रदेश में लाटरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जो प्रदेश के सामाजिक ढांचे को तबाह कर रहा था। हमने किसान और व्यापारी समुदाय के हितों के साथ समझौता किये बिना मूल्य संवर्धन कर (वैट) प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। हाल ही में घोषित हमारी आबकारी नीति से शराब की नीलामी में एकाधिकार को समाप्त करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी नई नीति की सफलता चालू वित्त वर्ष के दौरान हुई राजस्व बढ़ोतरी से झलकती है, जो पिछले कुछेक वर्षों की कुल बढ़ोतरी से भी अधिक है। इसी प्रकार, राज्य के विभिन्न भागों में खानों और खदानों की हाल ही में की गई नीलामी से भी राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये सब तथ्य राज्य की वर्तमान नीति, जो पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष है, में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं।

30. उपाध्यक्ष हमने विभिन्न प्लान स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृति करने की वित्तीय शक्तियां प्रशासनिक सचिवों को हस्तांतरित की हैं ताकि इस कार्य में होने वाली देरी से बचा जा सके। इससे विभागों को काफी राहत मिलेगी तथा वे अपनी नीतियों को और ज्यादा तत्परता से लागू कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हमने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सरकार की पुरानी खरीद नीति का त्याग कर दिया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम सरकारी धन का विवेकपूर्ण आबंटन करने के लिये अपनी वित्तीय स्थिति का निरन्तर विश्लेषण और इसकी समीक्षा करते रहेंगे। मैं सरकार की इस मंशा को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी केवल परिव्यय की बजाय उत्पादन में अधिक रूचि है, जबकि पहले परिव्यय में रूचि रखने की परिपाटी थी। हम अपनी नीतियों के आम आदमी तक लाभ पहुँचने और उनसे जन साधारण को हुई संतुष्टि में रूचि रखते हैं। हमने इसके लिये **परफार्मेंस आडिट प्रणाली शुरू** कर दी है और इंजीनियरिंग विभागों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है।

31. हम उपरोक्त नीतियों का अनुसरण करके अपने राजस्व खाते में पर्याप्त अधिशेष सृजित करने के प्रयास करेंगे, जो आने वाले वर्षों में हमारे योजनागत परिव्यय के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

32. अब मैं अपनी विकास गतिविधियों के कुछेक प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करना चाहूंगा, जिन्हें वर्ष 2005-06 की योजना में प्राथमिकता दी गई है।

बिजली उपलब्धता में वृद्धि

33. बिजली को अर्थ-व्यवस्था के विकास की धुरी समझा जाता है। तदनुसार, हम राज्य में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को सुनिश्चित, भरोसेमंद और किफायती बिजली सप्लाई देने के लिये वचनबद्ध हैं।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

34. हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने, सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ करने और बिजली निगमों के कामकाज में सुधार लाने के लिये ठोस प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 180 करोड़ रुपये के निवेश से उच्च वोल्टेज़ वितरण, प्रणाली, कृषि लोड को ग्रामीण घरेलू लोड से अलग करने जैसी योजनायें तथा आई०टी० इनिशिएटिव समेत आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। हमारी प्राथमिकता केन्द्रीय बिजली उत्पादन स्टेशनों और स्वायत्त बिजली उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक बिजली परियोजना समझौते करके राज्य की स्थापित क्षमता में वृद्धि करना है। राज्य में निकट भविष्य में एक गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टेशन स्थापित करने का भी हमारा प्रयास होगा।

35. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी लगभग दो वर्षों में यमुनानगर ताप बिजली घर परियोजना से 600 मैगावाट बिजली पैदा होने से राज्य में बिजली की स्थिति में काफी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के साथ और संयुक्त पन बिजली परियोजनायें स्थापित करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

36. जैसाकि मैंने कहा है कि हमारी सरकार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जायज शिकायतों का समाधान करने के लिये उत्सुक है। हमने काफी समय से लम्बित बिजली के बकाया बिलों तथा बिजली निगमों के पुनरुद्धार व इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने समेत अन्य मुद्दों मैत्रिपूर्ण समाधान ढूढने के लिये एक कैबिनेट सब कमेटी पहले ही गठित कर दी है।

37. हमारी सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण व इसके कुशल प्रयोग के लिये भी अनेक उपाय किये हैं। हम सरकारी भवनों, उद्योगों, होटलों, अस्पतालों, महाभोज हालों, जेल बैरकों, कैंटीनों, आवासीय परिसरों, शिक्षा संस्थानों, पर्यटन केन्द्रों इत्यादि में सौर ऊर्जा प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देंगे।

वर्ष 2005-06 में, नवीकरणीय ऊर्जा समेत बिजली क्षेत्र के लिये कुल 1708.21 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

जल संसाधनों में वृद्धि

38. हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है। राज्य में भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग की सम्भावनायें बहुत सीमित हैं। हमारी सरकार जल संरक्षण और इसके समान व न्यायोचित वितरण पर अधिक बल देती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वर्तमान सिंचाई चैनलों की मरम्मत व उनका आधुनिकीकरण करने, रजवाहों की क्षमता बढ़ाने, नई नहरों और चैक डैम्स का निर्माण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने तथा राज्य के शुष्क क्षेत्रों, विशेषत: दक्षिणी भागों के जल-संभरण के लिये विभिन्न नालों के फालतू बरसाती पानी को लाने की भी हमारी योजना है।

39. सरकार सिंचाई प्रणाली की त्वरित गति से मरम्मत व विस्तार करने के लिये **ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष** (आर०आई०डी०एफ०) के अन्तर्गत नाबार्ड से धन ले रही है। नाबार्ड ने 697.62 करोड़ रुपये की लागत वाली 585 सिंचाई, ड्रेनेज़ तथा जल संभरण योजनायें स्वीकृत

की हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, नाबार्ड से वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिये 76 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2005-06 में, सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल 922.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं पुल: सुरक्षित एवं गतिशील जीवन का आधार

40. सड़कें आर्थिक विकास के लिये एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। हरियाणा में 23,162 किलोमीटर लम्बी पी०डब्ल्यू०डी० सड़कों का काफी बड़ा नैटवर्क है, जबकि वर्ष 1966 में राज्य के गठन के समय इनकी लम्बाई केवल 5110 किलोमीटर थी। यातायात में वृद्धि और अपर्याप्त रख-रखाव के कारण हमारी वर्तमान सड़कों की हालत खराब हो रही है, इसलिये, हमारी सरकार वर्तमान सड़क तन्त्र के सुधार, उन्नयन और चौड़ा करने पर विशेष बल दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य **निर्माण-संचालन-हस्तांतरण** (बी०ओ०टी०) आधार पर करवाने का प्रस्ताव है। यह सड़क नैटवर्क की एक प्रमुख परियोजना है, जिसके अन्तर्गत एन०सी०आर० का काफी क्षेत्र आयेगा और यह परियोजना आधारभूत संरचना की बेहतर सुविधाओं के माध्यम से समृद्धि लायेगी। हमारा बहादुरगढ़ से पंजाब सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 10 समेत राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है। हमारे द्वारा जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 1 पर पानीपत में और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 2 पर बदरपुर में चिरप्रतीक्षित उत्थापित राजमार्गों (एलिवेटिड हाईवे) का निर्माण कार्य कुछेक महीनों में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

41. अध्यक्ष महोदय, सड़क तन्त्र के समुचित रख-रखाव के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 में सड़कों के रख-रखाव के प्रावधान में 141.92 करोड़ रुपये की रिकार्ड वृद्धि की गई है।

42. हमारा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्टेट गैस्ट हाऊस का निर्माण कार्य जो पिछले कई वर्षों से लम्बित है, को पूरा करने का प्रस्ताव भी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान चण्डीगढ़ में अतिरिक्त एम०एल०ए० फ्लैट्स का निर्माण करने का भी हमारा प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, सड़कों और भवनों के लिये कुल 636.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परिवहन तन्त्र का आधुनिकीकरण

43. अध्यक्ष महोदय, तेज गति से आर्थिक विकास के लिये एक कुशल सड़क परिवहन तन्त्र का होना आवश्यक है। राज्य के बस बेड़े में 3255 बसें हैं, जो प्रतिदिन 11.28 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इनमें 11.19 लाख यात्री सफर करते हैं। हमारी सरकार का बस सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिये नई पहलकदमी करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान, राज्य के बस बेड़े में 600 से अधिक नई बसें शामिल करने का प्रस्ताव है।

44. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी की हम वर्तमान बस अड्डों और कर्मशालाओं के नवीकरण तथा पुनर्निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जिसके लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, कैथल, ढांड, बरवाला और पटौदी में बस अड्डों

[श्री बीरेन्द्र सिंह]
के नये भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा और भूना, नारनौल तथा बहल से बस अड्डों के भवनों का निर्माण शुरू किया जायेगा। हमारा, पिपली, रोहतक और झज्जर के बस अड्डों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है। एक अग्रणी कार निर्माता कम्पनी ने हरियाणा में एक अत्याधुनिक मोटर वाहन ड्राईविंग स्कूल स्थापित करने की पेशकश की है जिससे, हमें आशा है, सड़क यातायात में काफी अनुशासन आयेगा।

वर्ष 2005-06 के दौरान, सड़क परिवहन के लिये 691.02 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

पेयजल : प्रति व्यक्ति आपूर्ति में वृद्धि

45. राज्य सरकार को अपने प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने का गौरव प्राप्त है। अब हम प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। दिसम्बर, 2004 में, किये गये ताजे सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में पेयजल की कमी वाले 1971 गांव हैं, जहां पेयजल की उपलब्धता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, ऐसे 840 गांवों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

46. मेवात क्षेत्र में 503 गांवों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने का एकमात्र स्रोत यमुना के तल में स्थापित "रैनीवैल्ज" है क्योंकि ज्यादातर स्थानीय पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है। एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने 205.91 करोड़ रुपये की लागत की **मेवात रैनीवैल्ज** योजना स्वीकृत की है। इस योजना पर पहले ही कार्य शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, झज्जर तथा सोनीपत ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी 162.10 करोड़ रुपये की लागत की एक पेयजल संवर्धन योजना अनुमोदित की है। हमारा शहरी क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति में भी सुधार लाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, जन स्वास्थ्य के लिये कुल 690.33 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

कृषि क्षेत्र का विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण

47. हरियाणा मुख्यत: एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि इसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। इसलिये, हमारी सरकार अनुसंधान, विस्तार और विपणन सुविधाओं समेत सहायक सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि के सुव्यवस्थित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

48. वर्ष 2005-06 के लिये 135.73 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना, कपास और तिलहनों के लिये उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 9.90 लाख टन (गुड़), 21.00 लाख गांठें तथा 12.03 लाख टन निर्धारित किया गया है।

49. अध्यक्ष महोदय, राज्य की वर्तमान फसल पद्धति की पृष्ठभूमि में भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को रोकने के लिये फसलों का विविधिकरण

अत्यन्त आवश्यक है। हमने किसानों को फसलों के विविधिकरण बारे शिक्षित करने के लिये विशेष चेतना अभियान शुरू किया है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि यदि किसानों को वैकल्पिक फसलों से ज्यादा आय सुनिश्चित नहीं की जाती है तो फसलों का विविधिकरण सफल नहीं हो सकता।

50. पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की आनुवंशिकी में सुधार लाने और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिये महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसानों को उनके घर द्वार पर ही पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये 198 नये पशु चिकित्सा संस्थान खोले जायेंगे। जिला अस्पतालाओं का विभिन्न चरणों में दर्जा बढ़ाकर उन्हें सुपर स्पेशलाइज्ड हास्पीटल्ज़ (पॉली क्लीनिक्स) बनाये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2005-06 के दौरान, सोनीपत तथा भिवानी में ऐसे दो पॉली क्लीनिक्स तथा पंचकूला में पालतू जानवरों के लिये एक पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

51. राज्य के लोगों ने मछली पालन को आय के एक वैकल्पिक साधन के रूप में अपनाया है। इसलिये, हमारी सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने की ओर उचित ध्यान देगी। प्रति हैक्टेयर मछली उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। वर्ष 2005-06 के दौरान, हमने 2500 लाख मछली बीज का भण्डारण करने और 48,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

52. अध्यक्ष महोदय, वन पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी सरकार वृक्षारोपण को उच्च प्राथमिकता देती है। इस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.4 प्रतिशत भू-भाग पर वन तथा वृक्ष हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से सामुदायिक वानिकी और फार्म वानिकी के अन्तर्गत गांव की शामलात भूमि और निजी भूमि पर गहन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये 550.25 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

नई उद्योग नीति

53. अध्यक्ष महोदय, हरियाणा अपनी शानदार आधारभूत संरचना, निवेश के लिये आदर्श वातावरण, श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच अच्छे सम्बन्धों तथा सहायक व प्रोत्साहनपूर्ण नीतिगत ढांचे की वजह से देशी व विदेशी निवेशकों की पहली पसन्द के रूप में उभरा है।

54. सुधार अवधि के दौरान शुरू की गई निजीकरण व भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं तथा व्यापार व उद्योग को दिये गये प्रोत्साहनों से देश में निवेश तथा निर्यात को बढ़ावा मिला है। चालू वर्ष के दौरान, हरियाणा का निर्यात 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाने की सम्भावना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये जिला गुड़गांव के गांव गढ़ी हरसरू में एक विशेष आर्थिक ज़ोन स्थापित करने का प्रस्ताव है। **कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस मार्ग** एच०एस०आई०डी०सी० द्वारा बनवाने की हमारी योजना है। यह राज्य की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक होगी। एक्सप्रैस के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र विकसित करने का हमारा प्रयास है। पानीपत में वर्तमान तेल शोधक कारखाने के चारों ओर **पैट्रो कैमीकल केन्द्र** विकसित करने का भी हमारा प्रस्ताव है।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

55. हरियाणा अपने सुदृढ़ औद्योगिक आधार पर उन्नत बुनियादी ढाँचे के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये एक आदर्श स्थल बन गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार का वस्त्र के लिये पानीपत में, मोटरगाड़ियों के लिये गुड़गांव में तथा हल्के इंजीनियरिंग सामान के लिये फरीदाबाद में तीन **औद्योगिक परियोजना समूह** विकसित करने का प्रस्ताव है। हमारा भारत सरकार के सहयोग से **केन्द्रीय प्लास्टिक तथा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान** स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हमने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा में एक बृहत् खाद्य पार्क के अतिरिक्त **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबन्धन संस्थान** स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह किया है।

56. सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के दृष्टिगत तथा राज्य में औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार ने अपनी **नई उद्योग नीति-2005** घोषित कर दी है। हमारी औद्योगिकी नीति का मूल उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों, उच्चकोटि के बुनियादि ढाँचे के निर्माण, रोज़गार के नये अवसर सृजित करने तथा निवेशकों के लिये अनुकूल वातारण उपलब्ध करवाने पर विशेष बल देते हुए प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने तथा बड़ी परियोजनायें आकर्षित करने के लिये नये औद्योगिक नगर विकसित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा साफ्टवेयर विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र, वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि जैसे अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की हमारी प्राथमिकता होगी।

वर्ष 2005-06 में, औद्योगिक प्रोत्साहन के लिये कुल 64.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोज़गार तथा व्यावसायिक शिक्षा

57. अध्यक्ष महोदय, बढ़ती बेरोज़गारी राज्य के सामाजिक ढाँचे के लिये एक गंभीर खतरा बनती जा रही है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं और बड़ी संख्या में युवक महसूस करते हैं कि उनका भविष्य अनिश्चित है। इसलिये, हमारी सरकार राज्य के युवकों को लाभदायक रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है।

58. बेरोज़गारी भत्ते की वर्तमान योजना, जिसमें समस्या के समाधान पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है, को तर्कसंगत बनाने का हमारा प्रस्ताव है। हम विदेशों में रोज़गार दिलवाने की प्रणाली शुरू करेंगे और प्रमुख औद्योगिक शहर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत तथा यमुनानगर में निजी रोज़गार सेवायें उपलब्ध करवायेंगे।

59. हमारी सरकार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकास के प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है। हमारा उद्देश्य उद्योग और व्यापार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये उच्चकोटि की तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध करवाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य के ऐसे विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने की हमारी योजना है, जहां पहले से ऐसे संस्थान कार्यरत नहीं हैं। पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में श्रेष्ठता केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि

विशिष्ट ट्रेडों में उच्चकोटि की दक्षता उपलब्ध करवाई जा सके। सरकार द्वारा राज्य के तकनीकी संस्थानों के उन्नयन में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

शिक्षा एवं खेल

60. अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास के लिये उच्चकोटि की शिक्षा अति आवश्यक है। तथापि, जैसाकि मैंने अन्तरिम बजट भाषण में कहा था कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता और आधारभूत संरचना की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना शिक्षा संस्थानों का निर्बाध गति से विकास हुआ है। इसलिये, हमारी सरकार सबके लिये प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल देती है।

61. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में दाखिल करवाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। हमने सरकारी स्कूलों के 50,000 प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करने हेतु **शिक्षा में श्रेष्ठता के लिये राजीव गांधी छात्रवृत्ति नामक** एक नई योजना शुरू की है। यह एक अनूठी योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों के दाखिलों में वृद्धि करना, प्रतिभावान छात्रों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करना, लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये प्रेरित करना और छात्रों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करना है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित **सर्व शिक्षा अभियान** कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।

62. शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये शैक्षणिक निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर संस्थान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। **स्कूली छात्र कम्प्यूटर दक्षता विकास कार्यक्रम** एन०सी०आर० तथा चण्डीगढ़ के समीपवर्ती जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को डैस्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है।

63. जहां तक खेलों की बात है हमारी सरकार खेलों और युवा कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगी। हरियाणा को उत्कृष्ट खिलाड़ी पैदा करने का गौरव प्राप्त है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने की एक नई योजना लागू करने का हमारा प्रस्ताव है ताकि उनमें विश्वास और अनुशासन की भावना पैदा हो सके। हमारा सभी युवा क्लबों को पुन: सक्रिय करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें गांव में युवा गतिविधियों के एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके। खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों की कुशलता में सुधार लाने के तौर-तरीके सुझाने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

वर्ष 2005-06 में, शिक्षा खेलों, कला और संस्कृति के लिये कुल 2180.69 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक नौबत आ गई थी, अभी चार दिन पहले 50 बच्चे मुझे आकर मिले और कहने लगे कि हमें बचाओ। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। वे कहने लगे कि हम खेल के झूठे सर्टीफिकेट देकर पिछली सरकार के समय नौकरी लगे थे। अब लग गये तो हमें क्यों निकाल रहे हो। इस तरह की अनियमितताएं पिछली सरकार के समय में हुई हैं।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

समाज के कमज़ोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान

64. हमारी सरकार वयोवृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। हम महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके स्तर में सुधार लाने पर भी बराबर रूप से ध्यान देंगे।

65. जैसाकि मैंने अपने भाषण के शुरू में जिक्र किया है कि लिंगानुपात में हो रहा असंतुलन हमारे लिये एक गंभीर चिन्ता का मामला है। प्रोत्साहन आधारित योजनायें लागू करके तथा स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करके लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण, कार्यक्रम, संचार तथा प्रचार, महिला मण्डलों को स्वंय सहायता ग्रुपों में परिवर्तित करने, सर्वोत्तम माता पुरस्कार, महिलाओं के लिये खेल प्रतियोगितायें तथा ग्रामीण किशोरियों के लिये पुरस्कार इत्यादि की विभिन्न नई योजनायें शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, इस क्षेत्र के लिये कुल 737.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी-निजी हिस्सेदारी

66. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसलिये, हमारी सरकार हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

67. हमारी सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे के विकास पर विशेष बल दे रही है। हमारा इरादा राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक उपकरण, पर्याप्त मात्रा में दवाईयों तथा अन्य बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करवाने का है। हम वर्तमान अस्पताल भवनों के समुचित रख-रखाव के लिये प्रयासरत हैं, जिसके लिये चालू वर्ष के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

68. प्रदेश में 24 घण्टे प्रसूति सेवायें तथा आपातकालीन प्रसूति सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये पहली अप्रैल, 2005 से **प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (आर०सी०एच० -11) का द्वितीय चरण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, फलदता दर इत्यादि जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाना है।

69. वर्ष 2005-06 के दौरान, नई विभिन्न स्वास्थ्य योजनायें शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है ताकि प्रदेश में उच्चकोटि की पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये स्वास्थ्य तन्त्र को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों, विशेषतः किसानों और श्रमिकों, जो दिन के समय अपने खेतों और कार्य स्थल पर व्यस्त रहते हैं, को प्राथमिक तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये सरकारी -निजी हिस्सेदारी की एक नई योजना मार्गदर्शी आधार पर शुरू की जायेगी। हमारा संस्थागत प्रसूति के लिये 300 गांवों में प्रसूति हट्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों तथा बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, चिकित्सा शिक्षा तथा वैकल्पित चिकित्सा पद्धति समेत स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 468.29 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

70. हमारी सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में गहरी रूचि है। इसलिये, हम ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण तथा इसके उन्नयन पर विशेष बल देते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने तथा रोज़गार के अवसर जुटाने के लिये राज्य तथा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोज़गार योजना** एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत स्व-रोज़गार के सभी पहलू आते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, इस योजना पर 16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। **राष्ट्रीय सम विकास योजना** पिछड़े ज़िलों के लिये एक नई योजना है, जिसके लिये धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है।

71. वर्ष 2005-06 के दौरान, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। पंचायती राज संस्थाओं को अनेक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये गये हैं ताकि वे विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। और प्रजातांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हो सके। **द्वितीय राज्य वित्त आयोग** की सिफारिशों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, पर लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार इन निकायों को और ज्यादा कार्यों तथा शक्तियों का हस्तांतरण किया जायेगा।

वर्ष 2005-06 में, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये कुल 277.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नगरपालिका प्रशासन और नगर विकास

72. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकायें स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण यूनिटें हैं। इसलिये, हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास तथा शहरी लोगों के कल्याण के प्रति भी उतनी ही चिन्तित है।

73. हमारी सरकार की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने में भी रूचि है, जिसके बिना वे कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकती। वर्ष 2005-06 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिये 18.20 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। **शहरी नवीकरण मिशन** के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को शहरी बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ बनाने के लिये 47.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। हम द्वितीय वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वित्तीय अन्तरण की जांच कर रहे हैं और इन निकायों को राज्य के बजट के तदर्थ आधार पर 50 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

74. हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के गरीब तथा कमज़ोर वर्गों के लोगों को **बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना** के अन्तर्गत आवास तथा स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

वर्ष 2005-06 के दौरान, शहरी विकास के लिये कुल 167.70 करोड़ रुपये का प्रावधान 17.00 बजे किया गया है।

पारदर्शी एवं प्रभावी सेवा अन्तरण प्रणाली के लिये इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन

75. सूचना प्रौद्योगिकी की राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये, हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को अत्यधिक महत्त्व देती है। हमारी आई०टी० इनिशिएटिव की प्रमुख प्राथमिकता पारदर्शिता तथा कुशल सेवा अन्तरण के लिये लोक केन्द्रित सेवायें उपलब्ध करवाना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी पार्कों व प्रौद्योगिकी नगरों की स्थापना के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है ताकि इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके।

बजट अनुमान 2005-06

76. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

77. वर्ष 2004-05, भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 215.97 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और इसकी 242.36 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है।

78. बजट अनुमान 2005-06 के अनुसार इस वर्ष की 242.36 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 294.03 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान हुआ लेन-देन 51.67 करोड़ रुपये के घाटे को दर्शाता है।

79. वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोष में कुल प्राप्तियां 16,130.12 करोड़ रुपये की दिखाई गई हैं, जबकि गत वर्ष के संशोधित अनुमानों में ये 15,767.34 करोड़ रुपये की थीं। प्रस्तावित बजट में 16,137.42 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है, जबकि वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों में यह 15,858.92 करोड़ रुपये था। बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिये 394.48 करोड़ रुपये का परिव्यय के अतिरिक्त राज्य योजना के लिये 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रावधान है।

80. वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां 648.75 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 12,037.27 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है, जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में ये 11,388.52 करोड़ रुपये की थीं। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में, 12,985.44 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च अनुमानित है, जो वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों में 11,614.32 करोड़ रुपये के खर्च से 1371.12 करोड़ रुपये अधिक है।

81. अध्यक्ष महोदय, हमने बजट घाटे को प्रबन्धनीय सीमा में रखा है और वित्तीय अनुशासन के लिये मेरे द्वारा प्रस्तावित उपायों से घाटे को नियन्त्रित करने में मदद मिलेगी। हमें आशा है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान हमारे कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि

होगी। इसलिये, बजट में नया कर लगाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। थर्पिंग मुझे आशा है कि हम अपने योजना कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करके प्रस्तावित योजनागत परिव्यय का पूरा उपयोग करने में सफल होंगे।

82. इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग तथा एन०आई०सी० के अधिकारियों व कर्मधारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

83. महोदय, अब मैं वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द !

Mr. Speaker : Now, the House is *adjourned till 2.00 P.M. Monday, the 13th June, 2005.

*17.02 Hours. (The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. Monday, the 13th June, 2005).

40071—H.V.S.—H.G.P., Chd.